

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 1983

खंड 1 अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार 7 मार्च 1983

पृष्ठ संख्या

ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्र न उठाया:	
(i) श्री किताब सिंह एम0एल0एज0 की कथित अवैध, गिरफ्तारी सम्बन्धी	(1)1
(ii) एम0एल0एज0 को पुलिस द्वारा रोकने सम्बन्धी	(1)2
राजपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)2
भाोक प्रस्ताव	(1)15
अध्यक्ष द्वारा घोशणा	
(i) पैनल आफ चेयरमैन	(1)37
(ii) कमेटी आन पैटी ांज	(1)38
(iii) अनुपस्थिति की अनुमति	
चौधरी राजेन्द्र सिंह, खाद्य तथा पूर्ति मंत्री सम्बन्धी	(1)38
सचिव द्वारा घोशणा	

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों सम्बन्धी	(1)38
वाक आउट	(1)39
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1)43
सदन की मेज पर रखे गये /पुनः रखे गये कागज-पत्र	(1)45
ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामलों में प्रिवेलिजज कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे । करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे । करने के लिये समय बढ़ाना-	(1)46
(i) 24-5-82 को राज भवन में हरियाणा के राज्यपाल का कथित अपमान करने, गाली देने तथा बल प्रयोग करने के लिये चौधरी देवी लाल एम0एल0ए0 के विरुद्ध ।	(1)46
(ii) 24-6-82 को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर उनके कथित अवचार सम्बन्धी चौधरी देवी लाल एम0एल0ए0 के विरुद्ध	(1)48

हरियाणा विधान सभा

सोमवार 7 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़, में प्रातः 15.27 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाना—

(i) श्री किताब सिंह, एम0एल0ए0 की कथित अवैध गिरफ्तारी सम्बन्धी।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरी एक अर्ज है कि हमारी पार्टी के एक एम0एल0ए0 को पुलिस द्वारा पीटा गया और उसे पीट कर भामली के पास पुलिस छोड़ आई। मैं समझती हूँ कि हमें इस बारे में डिसकान के लिये कम से कम दो घंटे का समय मिलना चाहिये। हमने इस बारे में एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया है। हमने वह प्रिविलेज मोशन सरी अपोजीशन पार्टी की तरफ से दिया है। स्पीकर साहब, एक एम0एल0ए0 को पीटना, उसकी बेइज्जती करना और फिर रात के बारह बजे उसको भामली के पास छोड़ आना कहां का प्रजातंत्र है? इससे ज्यादा ज्यादा प्रजातंत्र में और क्या हो सकती है? (गोर एवं भोम भोम की आवाजें)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जब तक ऐसी कोई बात सरकार के नोटिस में न लाई जाये तब तक इनहें हाउस में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। यह बात बगैर सरकार के नोटिस में लाये ओर बगैर आपकी इजाजत के हाउस में कह रही है इसलिये यह सारी बात हाउस की कार्यवाही से निकाल दी जाये। (ओर एवं व्यवधान)

श्री मंगल सेन: स्पीकरसाहब, मैं भी आप की सेवा में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अगर हरियाणा की पुलिस ने उस एम0एल0ए0 को पकडा है तो उसे हरियाणा की टैरीटरी में ही रखना चाहिये था, उसे यू0पी0 में नहीं ले जाना चाहिये था। (ओर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं इस बारे में रूलज के मुताबिक पूरा प्रोसीजर एडॉप्ट करूंगा ओर रूलज के अनुसार कार्यवाही करूंगा। (ओर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस सम्बन्ध में हमने लिखित रूप में आपकी सेवा में नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष: मैं उसे जरूर देखूंगा ओर एक न लूंगा।

(ii) एम0एल0एज0 को पुलिस द्वारा रोकने सम्बन्धी।

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब अभी हम एम0एल0एज0 होस्टल से विधान सभा की तरफ आ रहे थे तो एम0एल0एज0

फ्लैटस के पास जो चौराहा है वहां पर पुलिस ने रास्ता बन्द कर रखा है। स्पीकर साहब, एम0एल0एज0 साहेबान गवर्नर साहब का ऐड्रेस सुनने के लिये और सत्र में भाग लेने के लिये आर्ये ओर पुलिस हमारा रास्ता बन्द करे यह हमारे राइटस की इन्क्रेचमेंट हैं पुलिस द्वारा हमारा रास्ता बन्द करना क्या यह डैमोकेसी है? हमें रोकने का यह क्या तरीका हुआ? स्पीकरसाहब, मेने इस सम्बन्ध में प्रिविलेज मो एन का नोटिस भी दिया है।

श्री अध्यक्ष: मैं उसे देख लूंगा।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 18 के अनुसार मैंने यह सूचना देनी है कि कांस्टीच्यु एन के आर्टिकल 176 (1) के अधीन राज्यपाल महोदय ने आज 7 मार्च, 1983 को 2.00 बजे बाद दोपहर हरियाणा विधान सभा के समने ऐड्रेस देने की बात की। ऐड्रेस की एक कापी टेबल आफ दी हाउस पर रखी जाती है।

“अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यगण

नये वर्ष में हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र के अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुये मुझे अतयन्त प्रसन्नता हो

रही है यह नई विधान सभा का पहला बजट सत्र भी है। मुझे आशा है कि सत्र के दौरान आप बहुत ही उपयोगी विचार विमर्श और विधायी कार्य करेंगे, जिससे कि राज्य के लोगों को बहुत लाभ होगा।

वर्ष 1982 में विकास गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक योजनाओं को सफलता से पूरा किया गया है, बावजूद इसके कि राज्य को कुदरती मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। पिछले वर्ष के आरम्भ में ही, राज्य के 11 जिलों में ओले पड़े, जिससे 6.85 लाख एकड़ फसल के अधीन क्षेत्र प्रभावित हुआ और इसके कारण लगभग 170 करोड़ रुपये की हानि हुई। मेरी सरकार ने भूमि जोत कर और आबियाना में छूट देने थोड़ी अवधि के सहकारी कर्जों को दरम्यानी अवधि के कर्जों में बदलने और तकावी कर्जों की वसूली को मूलतः करने के अतिरिक्त 14.49 करोड़ रुपये की अनुग्रह राहत की तुरन्त स्वीकृति दी। इससे किसानों के कष्टों में काफी हद तक कमी हुई। हम ओलावृष्टि के असर से संभल नहीं पाये थे कि 1982 की खरीफ के दौरान लगातार चौथा वर्ष भी सूखे की लपेट में आ गया। कुल 12 में से 7 जिले सूखे से प्रभावित हुए। सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों की भूमि जोत कर तथा आबियाना में विशेष छूट देकर सहायता पहुंचाई राज्य के साधनों की स्थिति बहुत तंग होने के कारण भारत सरकार को एक ज्ञापन 83.35 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिये भेजा गया था, जिसके आधार पर 11.62

करोड़ रूपये की सहायता प्राप्त की जा चुकी है और यह सम्बन्धित विभागों को सूखे से प्रभावित जिलों के लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए सौंप दी गई है। यह राशि फसल की कमी को पूरा करने के लिए, ज्यादातर उत्पुदन बढ़ाने तथा ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार जुटाने के लिए, खर्च की जा रही है।

मेरी सरकार की मूल कार्यनीति यह रही कि विकास की गति को बढ़ाया जाए और समाज के सभी वर्गों के लिए रोजगार के नये अवसर जुटाए जाएं। प्रत्येक अनुगामी वर्ष में योजना उपबंध में काफी वृद्धि करना लोगों की अधिकाधिक भलाई करने के हमारे निश्चय का पर्याप्त प्रमाण है। तदनुसार वर्ष 1983-84 के लिए हमारा योजना खर्च 406.59 करोड़ रूपये निश्चित किया गया है जो कि वर्तमान वर्ष के 320.7 करोड़ रूपये के खर्च से 26.8 प्रतिशत अधिक है।

हमारे समूचे विकास प्रयत्नों की मार्गदर्शनी प्रेरणा प्रधान मंत्री जी का नया 20 सूत्री कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से सम्बन्धित विकास के सभी क्षेत्रों में हमने आतातीत प्रगति की है। मैं इन सभी तथ्यों पर तब प्रकाश डालूंगा जब मैं दूसरे विभागों की गतिविधियों के बारे में आपको बताऊंगा। आगामी वर्ष में भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया जायेगा। हमारी योजना का 80 प्रतिशत खर्च कवेल इसी कार्यक्रम के लिए रखा गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के मार्गदर्शनी तथा उसकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए की गई

है। प्रत्येक मास प्रगति की समीक्षा करने तथा अन्तर्विभागीय तालमेल को सुनिश्चित करने और प्रगति को तेज करने के उपाय सुझाने के लिए प्रासकीय सचिवों की एक समिति स्थापित की गई है। जिलावार लक्ष्य निश्चित किये जा चुके हैं और अब ब्लाक अनुसार लक्ष्य तैयार किये जा रहे हैं। आयुक्त तथा उपायुक्त नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उपमण्डल स्तर पर भी एक समीक्षा समिति स्थापित की जा रही है। सभी स्तरों पर समीक्षा समितियों में काफी गैर सरकारी प्रतिनिधी हैं, जिनमें विधान सभा सदस्य, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

चूंकि हरियाणा मूलतः कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए मेरी सरकार कृषि के विकास और कृषि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने की सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 1982-83 को उत्पादन वर्ष घोषित किया गया था और खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 71.4 लाख टन निश्चित किया गया था। परन्तु इस वर्ष राज्य में असामान्य मौसम की स्थिति रही। मानसून के देर से आने के कारण खरीफ की फसलों, विशेषतः धान की बुवाई में गम्भारी रुकावटें पैदा हुईं। तथापि, बिजली और सिंचाई के पानी के उचित प्रबन्ध से और वैज्ञानिक कृषि उपायों जैसे प्रमाणित बीजों की बढ़ी हुई उपलब्धता, रासायनिक खादों का अधिकतर प्रयोग, पौधा संरक्षण के बेहतर तरीकों से राज्य सरकार कृषि उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट का रोकन में समर्थ रही है।

आ 11 की जाती है कि इस वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन वर्ष 1981-82 के 60.57 लाख टन के मुकाबले 66.28 लाख टन के स्तर तक पहुंच जाएगा। वर्ष 1983-84 का लक्ष्य 75.25 लाख टन निश्चित किया गया है और गन्ने का गुड़ के रूप में 7 लाख टन निश्चित किया गया है। सब्जियों और फलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बंजर क्षेत्रों में खास तौर पर तिलहन और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किये जा रहे हैं। अम्बाला, गुडगांव तथा महेन्द्रगढ़ के अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में पहली बार अनेक इंटेग्रेटेड वाटर भौंड मैनेजमेंट स्कीमें (समेकित पनढाल प्रबन्ध योजनाएं) भुर्रु की जा चुकी है। इन योजनाओं का उद्देश्य भू-संरक्षण को रोकना तथा बांध बना कर बाढ़ के पीन को काम में लाना है और खोदे गए तालाबों का निर्माण करके भूजल को पुनरावर्तित करना है। किसानों को बेहतर आमदनी देने के लिए नियमित मंडियों का होना बहुत आवश्यक है। राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड ने वर्तमान 41 मंडियों में अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के साथ साथ 128 अनाज मंडियों तथा 14 फल मंडियों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। ये मंडियां वि. व. बैंक परियोजना के अधीन विकसित की जाने वाली 26 मंडियों के अलावा हैं। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित बनाने के लिए मंडियों के 10 प्रतिशत बूथ अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए तथा इतने ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किये गए हैं।

हरियाणा कृषि वि विद्यालय, हिसार दे 1 में अपनी तरह की एक प्रमुख संस्था है। यह कृषि और पशु चिकित्सा के अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार कार्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके द्वारा प्रयोगशाला से भूमि तक कार्यक्रम के अधीन आधुनिक तकनीक और अनुसंधान को राज्य के सभी किसानों, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों तक पहुंचाया जाता है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा बीज निगम तथा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण और हरियाणा वेयरहाऊसिंग निगम सभी अन्न के अधिक उत्पादन और संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं।

मेरी सरकार राज्य में क्षेत्रीय असमानताओं के प्रति जागरूक है। परिणामतः लगातार सूखे के कारण बंजर क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूखे के कारण होने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यों के अधीन वर्ष 1983-84 के लिए 4.04 करोड़ रुपये सामान्य विकास कार्यों के अतिरिक्त रखे गये हैं। इसमें से आधे खर्च का भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि तथा गैर कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों की कमजोर आर्थिक स्थिति पर भी मेरी सरकार का पूरा ध्यान रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम का विस्तार राज्य के सभी ब्लाकों तक कर दिया गया है तथा जनवरी 1983 तक 38000 परिवारों को इससे लाभ पहुंचा है जिसमें 20461

अनुसूचित जाति से सम्बन्धित परिवार भी शामिल है। वर्ष 1983-84 के लिए प्रति ब्लॉक आबंटन 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति ब्लॉक कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में 7.26 करोड़ रुपये की राशि बराबर के आधार पर केन्द्र द्वारा भी दी जाएगी। हमारा प्रयत्न होगा कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित परिवारों को इसके अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा लाया जाए।

मेवात विकास बोर्ड ने भी इस पिछड़े क्षेत्र को राज्य के भोश क्षेत्र के सामान बनाने के लिए अपने प्रयत्न तेज किए हैं। सामान्य विभागीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 1982-83 में लगभग 40 वि. भोश योजनाओं पर 2 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। अगले वर्ष के लिए योजना उपबन्ध बढ़ा कर 2.2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

चूंकि यहां भूमि सामान्यता भुशक तथा अर्ध भुशक है, इसलिए अधिक कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई आवश्यक है। अतः सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के दृष्टिगत सिंचाई के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। धरातल पर मिलने वाले पानी और भूमिगत पानी, दोनों ही साधनों को प्रयोग में लाया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सिंचाई क्षमताओं को 80000 हैक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य का 73 प्रतिशत भाग पूरा किया जा चुका है। भोश लक्ष्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा। हम नहरों तथा रजवाहों की लाइनिंग करके तथा

उनको सुधार कर आधुनिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वि. व. बैंक की सहायता से पूरी की जा रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में सभी सदस्य जानते हैं। हम पहले ही 25.7 करोड़ वर्ग फुट नहरों तथा रजवाहों और 1.93 करोड़ फुट लम्बे जलमार्गों की लाइनिंग कर चुके हैं। अब उपलब्ध जल का केवल एक साधन, जो कि अग्नी प्रयोग में लाया जाना है, रावी ब्यास जल में हमारा हिस्सा है, जिसके लिये योजक नहर का निर्माण कार्य पंजाब के क्षेत्र में आरम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में 20.5 करोड़ रुपये की राशि पंजाब सरकारको दी जा चुकी है। इसका कार्य प्रगति पर है। मुझे आशा है कि यह कार्य अनुबन्ध में निर्धारित समझौते के अनुसार समय में पूरा हो जायेगा। मुझे सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि राज्य सरकार ने वि. व. बैंक के साथ सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण के बारे में सफलापूर्वक बात की है। इस परियोजना में निर्माण कार्य पर अगले चार वर्षों में 234.6 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान ताजेवाल बांध राज्य के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है तथा हम नया बांध बनवाने पर जोर डाल रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष है कि इसका तकनीकी पैरामीटर निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत कर दी है। बांध के निर्माण का काम निकट भविष्य में शुरू होने की सम्भावना है। इस परियोजना के मुकम्मल

हो जाने से सिंचाई की वृद्धि होगी तथा बाढ़ संकट कम होने से हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को लाभ होगा।

कृषि तथा औद्योगिक पैदावार की वृद्धि द्वारा राज्य की आर्थिक दृष्टि को और उन्नत करने में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत बिजली की सप्लाई को हमें ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वर्ष 1983-84 के लिए योजना खर्च का प्रमुख भाग 135.15 करोड़ रुपये बिजली के विकास के लिए नियम किया गया है। 165-165 मेगावाट के दो संयंत्र देहरादून में तथा 60-60 मेगावाट के दो संयंत्र पोंग में लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। यह अतिरिक्त बिजली, आगामी, महीनों में, विशेषतः धान की फसल के दौरान राज्य को उपलब्ध होगी, जबकि कृषि के क्षेत्र में इसकी मांग अपने चरम पर होगी। ताप बिजली परियोजना पानीपत के दूसरे और तीसरे चरणों का काम और तेज कर दिया गया है तथा इन दोनों चरणों के क्रम में 1984-85 तथा 1985-86 के अन्त तक, मुकम्मल होने की सम्भावना है। इससे बिजली के वर्तमान उत्पादन में 430 मेगावाट की वृद्धि होगी।

बिजली की सदा बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दीर्घावधि आधार पर एक उत्पादक योजना सोची गई है। 210-210 मेगावाट के दो संयंत्रों वाली यमुनानगर ताप परियोजना के प्रथम चरण को केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का तकनीकी आर्थिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। योजना आयोग से अनुमति

पत्र भी भीघ मिलने की आ ता है। आपको सम्भवतः विदित है कि राज्य, लागत में अपने 50 प्रति ता अं तादान तथा बिजली लाभ में 42 प्रति ता भाग के आधार पर 1020 मैगावाट नाथपा झाकड़ी पन बिजली अन्तर्राज्यीय परियोजना में शामिल है। उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य भुरू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दादूपुर तथा खेड़ी बरौटा में दो लघु जल परियोजनाओं की योजना बना कर केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गई है।

बिजली के उत्पादन के साथ साथ उसके सम्प्रेषण तथा वितरण की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। राज्य बिजली बोर्ड ने फरीदाबाद, अम्बाला छावनी तथा ताउडू के 66किलोवाअ सब स्टे ानों के अतिरिक्त पानीपत, जीवन नगर तथा थाना में 132 किलोवाट सब स्टे ानों को चालू कर दिया है। इनके अलावा चार 1320 किलोवाट सब स्टे ानों तथा चार 66 किलोवाट सब स्टे ानों का विस्तार कर दिया गया है। 1982 में 65000 से अधिक सामान्य कनैक् ान, 3000 से अधिक औद्योगिक कनैक् ान तथा 12400 से अधिक नलकूप कनैक् ान दिसम्बर मास तक दे दिए गए थे। 1983-84 के दौरान इन वर्गों को क्रम ा: 60000 और 4000 तथा 17000 कनैक् ान दिये जाने की आ ता है।

यह बड़े सन्तोश का विशय है कि आज हरियाणा केन्द्रीय भण्डार में गेहूं तथा चावल के प्रमुख अं तादाताओं में से है। 1982-83 की रबी के दौरान 12.61 लाख टन गेहूं प्राप्त करके

केन्द्रीय भण्डार में दिया गया जबकि पिछले वर्ष के दौरान 11.21 लाख टन गेहूं प्राप्त करके दिया गया था। इसी प्रकार फरवीर, 1983 के मध्य तक 6 लाख टन से अधिक चावल प्राप्त करके केन्द्रीय भण्डार में दिया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोग की जरूरी वस्तुओं के वितरण की प्रणाली को व्यवस्थित रूप दे दिया गया है। वर्ष भर में 21 उचित दाम की अतिरिक्त दुकानें खेलने का लक्ष्य तो पूरा कर ही लिया गया है, बल्कि इससे अधिक 50 दुकानें और भी खोल दी गई है। इसके अतिरिक्त दूर दराज इलाकों के लोगों को उनके घर द्वार पर जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए 144 चलती फिरती उचित दाम की दुकानें भी खोली गई है। उपभोग की इन जरूरी वस्तुओं के व्यापारियों के ऊपर कड़ा नियन्त्रण रखा जा रहा है ताकि वे समाज विरोधी साधन न अपनाएं।

मेरी सरकार ने सहकारी आन्दोलन की ओर भी अपेक्षित ध्यान दिया है। इस आन्दोलन का अभिप्राय प्रजाताकित्रक ढंग से आर्थिक विकेन्द्रीकरण करना तथा एक को अनेक की भाक्ति प्रदान करना है। इसने राज्य में कमजोर वर्गों के स्तर को ऊंचा उठाने तथा ऋण की उपलब्धि, कृषि इनपुटों की सप्लाई तथा कृषि उपज की मार्केटिंग द्वारा पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों ने 30 जून, 1982 तक 151.46 करोड़ रुपये की राशि अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋणों के रूप में दी जबकि पिछले वर्ष यह राशि 124.74 करोड़

रूपये थी। कृषि के प्रयोजनों के लिए सदस्यों की अधिकतम ऋण सीमा 10000 रूपये से बढ़ा कर 15000 रूपये कर दी गई। सहकारी आन्दोलन की गतिविधियों के क्षेत्र का विविधीकरण कर दिया गया है तथा अब डेरी फार्मिंग, गृही निमर्ण तथा उद्योग आदि भी इसके अधीन आ गये हैं। सहकारी क्षेत्र में 3 चीनी मिलें जीन्द, भाहाबाद और पलवल में स्थापित की जा रही है। सहकारी भूमि विकास बैंक ने नलकूपों के लिए 2 करोड़ रूपये तथा प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों ने ग्रामीण कारीगरों को 3.88 करोड़ तथा भूमिहीन मजदूरों और छोटे दुकानदारों को 10.25 करोड़ रूपये के ऋण दिये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक आत्मनिर्भरता देने के लिए अकेली खेती बाड़ी काफी नहीं है। इसके साथ साथ पशुपालन, डेरी फार्मिंग तथा मछली पालन को भी उन्नत करना आवश्यक हैं। पशुधन के सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। वर्ष 1983-84 के दौरान पशुओं के रोगों की रोकथाम के लिए एक केन्द्रचालित योजना शुरू की जाएगी। इन दो वर्षों के दौरान 500 एकड़ का एक चारा बीज फार्म तथा 100 पशु पालन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इन योजनाओं से हमारे गांवों के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ पहुंचेगा। ग्रामीण निर्धनों के लिए मछली पालन आमदनी का बहुत बड़ा साधन हो सकता है छठी योजना के दौरान मछली पालन के विकास के लिए 195 लाख

रूपये की राशि निर्धारित की गई है। इस राशि में से वर्ष 1983-84 के लिए 105 लाख रूपये की राशि नियत की गई है।

मैं यह मानता हूँ कि राज्य में राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में वनों के महत्व को देरी से पहचाना गया। पिछले चार वर्षों में मेरी सरकार इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रही है। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए ही नवम्बर, 1982 में मेरी सरकार द्वारा वन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। वन विकास नीति नये 20 सूत्री कार्यक्रम का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जोर से पौध रोपण तथा वन साधनों के विकास का कार्य चिका जाएगा। चालू वर्ष के दौरान पौधे लगाने का लक्ष्य लगभग दुगुना कर दिया गया है। वर्ष 1982-83 के दौरान कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ जिलों की 2500 हेक्टेयर बंजर भूमि में पौध रोपण कार्य पूरा हो चुका है और ईंधन की लकड़ी की निरन्तर सप्लाई के लिए छोटे किसानों को 62.5 लाख पौधे बांटे जा चुके हैं। महेन्द्रगढ़, भिवानी, रोहतक, हिसार और सिरसा के मरुस्थल से प्रभावित जिलों में भूमि की उत्पादकता को सुधारने और प्रादेशिक जलवायु को अनुकूल बनाने के लिए वायु रोध और भौल्टर बैल्ट्स बनाने, चरागाह-विकास, सामुदायिक तथा पंचायत भूमि पर वनरोपण का विशेष कार्यक्रम अमल में लाया जा रहा है। 1980-81 में लगाए गए 1.59 करोड़ पौधों के मुकाबले में मेरी सरकार ने इस संख्या को बढ़ा कर 1981-82 में 6 करोड़ और चालू वर्ष के दौरान साढ़े

आठ करोड़ कर दिया है। आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य 10 करोड़ पौधों का है। सभी 12 जिलों में 67000 हैक्टेयर भूमि पर पौधे लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों को ईंधन की लकड़ी की सप्लाई को बढ़ाने के मूल उद्देश्य से वर्ष 1982-83 के दौरान वि. व. बैंक की सहायता से सामाजिक वानिकी परियोजना भुरू की जा चुकी है। इस परियोजना पर 33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना से अनुमानतः 1.7 करोड़ श्रम दिवसों का मौसमी रोजगार मिलेगा और 5 वर्षों में 1420 स्थायी नौकरियों के पद बनेंगे।

कृषि उपज को बढ़ाने के प्रयत्नों के साथ साथ मेरी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि औद्योगिक विकास पर भी उचित ध्यान दिया जाए। हरियाणा वित्त निगम चालू वित्त वर्ष के दौरान फरवरी, 1983 तक 530 औद्योगिक इकाइयों को 27.55 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दे चुका है। इसमें से एक तिहाई से अधिक राशि की स्वीकृति पिछड़े क्षेत्रों को दी गई है। इसी प्रकार हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम 40 यूनिटों को 18.11 करोड़ रुपये की आवधिक ऋण सहायता की स्वीकृति दे चुका है। इसमें से 8.11 करोड़ रुपये पिछड़े क्षेत्रों के 15 यूनिटों को दिये गए हैं। ग्राम उद्योगीकरण योजना को अत्यधिक प्राथमिकता दी जा रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1982-83 के दौरान 7500 इकाइयों स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 6913 इकाइयों की स्थापना जनवरी, 1983 तक की जा चुकी है। लगभग 21000 लोगों को

रोजगार मिला है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योग सहायता वर्ग (आई.ए. जी.) द्वारा किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हुड्डा और एच.एस. आई.डी.सी. को औद्योगिक प्लांटों के लिए लगभग 750 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 250 आवेदन पत्र पहले ही जारी किये जा चुके हैं। चालू वर्ष के दौरान हरियाणा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि पंचकूला में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की 21 करोड़ रुपये की इलैक्ट्रानिक परियोजना प्राप्त करना है। इसके लिए लगभग 58 एकड़ भूमि उद्योग विभाग द्वारा नि: शुल्क अलाट की गई है।

भारत सरकार द्वारा हरियाणा में तेल भोधक कारखाने की स्थापना के निर्णय के बारे में आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष अनुभव हो रहा है। पानीपत के नजदीक गांव बहौली के पास एक स्थल इस आवेदन से चुन लिया गया है। इस कारखाने की प्रस्तावित क्षमता 60 लाख टन प्रति वर्ष होगी। इस पर 800 से 900 करोड़ रुपये के बीच लागत आने का अनुमान है। आवेदन है कि इससे लगभग 2000 व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा।

मेरी सरकार उच्चतर उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण को प्राप्त करने की इच्छुक है। भविष्य की प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए वर्ष 1982 के दौरान इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम की स्थापना की गई है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का एक नया सम्पूर्ण विभाग बना दिया गया है। हम

ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विकास तथा वृद्धि में जुटे हुए हैं। बायोगैस प्लांट को चालू करने के बारे में कार्य, अभियान स्तर पर भुरू किया गया है। सौर ऊर्जा की अत्यधिक क्षमता को भी उपयोग में लाने के प्रयास हो रहे हैं। हमारे प्रयत्नों का उद्देश्य अधिक उत्पादन, उच्चतर रोजगार साधन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करना है

वर्ष 1982 उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया गया। उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के प्रधान मंत्री के आह्वान पर हरियाणा के श्रमिक वर्गों का काम सराहनीय था। वर्ष 1981- में 24603 कामगारों को प्रभावित करने वाली 96 हड़तालों और तालाबन्दियों के मुकाबले में 1982 में इन हड़तालों की संख्या कम होकर 64 रह गई जिनसे केवल 10843 कामगार प्रभावित हुए। इसी अवधि के दौरान नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या 9.56 लाख से घट कर 2.3 लाख रह गई। 20 सूत्री कार्यक्रम की भावना के अन्तर्गत, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए निम्नतम मजदूरी की दरों में काफी सुधार किया गया।

रोजगार के क्षेत्र में नौकरियों की कमी के कारण अपना काम भुरू करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जिला ग्राम विकास एजेंसियों के अतिरिक्त, उद्योग औद्योगिक प्रशिक्षण तथा रोजगार विभाग, अपना काम भुरू करने की योजनाओं पर अधिक बल दे रहे हैं। संस्थानिक वित्त विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कृषि के अतिरिक्त उद्योग तथा

व्यापार के लिए भी ग्रामीण उद्यमकर्ता का कम दरों पर उसके घर के नजदीक ही ऋण उपलब्ध हो। चालू वर्ष के दौरान, ऐलनाबाद, उकलाना मंडी तथा समालखा में तीन ग्राम रोजगार कार्यालय तथा इसराना में एक उप रोजगार कार्यालय खोला गया है। नूह में एक विशेष व्यवसाय निर्देशान तथा रोजगार सूचना इकाई खोली गई है। वर्ष 1983-84 में औद्योगिक क्षेत्रों में चार रोजगार विकास इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है जो विकलांगों, अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को रोजगार दिलाएंगी। यू.एन.डी.पी./आई.एल.ओ. के अन्तर्गत फरीदाबाद में पहले से चल रहे उच्च व्यवसाय प्रशिक्षण और केन्द्र हिसार में खोलने का भी प्रस्ताव है।

शिक्षा पर किया गया व्यय सामाजिक दृष्टि से सर्वोपयोगी निवेश है। मेरी सरकार इसके प्रति सजग रही है तथा इस क्षेत्र को, विशेषतः इसके प्राथमिक स्तर को उचित पहल दी गई है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-11 आयु वर्ग के बच्चों के, विशेषतः लड़कियों तथा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी श्रेणियों के बच्चों के दाखले की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। 550 एक अध्यापकीय विद्यालयों को ऐसे द्वि-अध्यापकीय विद्यालय बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिनमें एक अध्यापक महिला होगी। इससे प्राथमिक शिक्षा की ओर अधिक से अधिक लड़कियां आकर्षित होंगी। अनेक अन्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त हरिजन लड़कियों को मुफ्त वर्दियां देने के लिए 13.12 लाख रुपए का

तथा उन्हें उपस्थिति पुरस्कार देने के लिए 48 लाख रुपए का उपबन्ध था गया है। स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की मांगों तथा दाखले में वृद्धि से प्रकट लोगों के उत्साह को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। वर्ष के दौरान 200 प्राथमिक विद्यालयों तथा 100 माध्यमिक विद्यालयों के दर्जा को बढ़ाकर उन्हें क्रम 1: माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च विद्यालय बनाया गया है। इसी प्रकार छठी पंचवर्षी योजना में निर्धारित विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने के लक्ष्य को इसी वर्ष में प्राप्त कर लिया गया है। विद्यालय शिक्षा के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की ओर भी बहुत ध्यान दिया गया है। संख्या की अपेक्षा गुणात्मकता को अधिक महत्व देते हुए अध्यापकों के भौतिक स्तर को सुधारने के प्रयत्न किए गए हैं और इसके लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसमें 3500 अध्यापकों ने भाग लिया। सप्ताह में दो पीरियड नैतिक शिक्षा के लिए नियत किए गए। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों को पुनरीक्षित करके, राष्ट्रीय एकता जनसंख्या शिक्षा, सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक उत्थान को पाठ्य अचर्या का भिन्न अंग बना दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। कुरुक्षेत्र, बराड़ा तथा सोनीपत में महिला विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है।

स्वस्थ समाज के विकास के लिए खेलें अनिवार्य हैं। इनसे नवयुवकों में मानसिक तथा भाारीरिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त

अनुशासन, साहचर्य तथा नेतृत्व की भावनाओं का भी संचार होता है। मेरी सरकार को, खेलों की उन्नति के लिए किए गए प्रयासों पर गर्व है। दिल्ली में हुई नवी एशियाई खेलों में हरियाणा के पांच प्रसिद्ध खिलाड़ियों ने विजयश्री प्राप्त करके देश का नाम ऊंचा किया। जिला जीन्द के श्री चांद राम ने 20 किलोमीटर चलने की प्रतियोगिता में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता, तथा एक नया रिकार्ड कामयाब किया। सिरसा के बहादुर सिंह ने गोला फेंकने में नए रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जिला गुडगांव की कुमारी गीता जुत्सी ने 800 मीटर तथा 1500 मीटर की दौड़ों में रजत पदक जीते। जिला भिवानी के श्री गिरवर सिंह ने बाक्सिंग में रजत पदक जीता। महेन्द्रगढ़ के श्री सुरेश यादव ने 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता। देश द्वारा जीते गए पदकों की संख्या में हरियाणा के महत्वपूर्ण योगदान को समूचे भारत ने सराहा है। इन नौजवान खिलाड़ियों के भानदार प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए मुझे हर्ष होता है। इनके अतिरिक्त क्रिकेट के भानदार युवक खिलाड़ी कपिल देव वैस्ट इंडीज में देश की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। एक और होनहार खिलाड़ी अशोक मल्होत्रा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में मेरी सरकार ने ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया है। गांवों के लोगों को एकमुस्त रूप में स्वास्थ्य देख रेख सुविधा की व्यवस्था करने के लिए राज्य के सभी जिलों में

बहुप्रयोजनी स्वास्थ्य योजना लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत 5000 जनसंख्या के पीछे एक पुरुष तथा एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की व्यवस्था की गई है। समूची जनता को लाभान्वित करने के उद्दे य से राज्य के सभी 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य गाईड योजना लागू की गई है इसका उद्दे य प्रति 1000 व्यक्तियों के लिए एक स्वास्थ्य गाईड उपलब्ध करना है। लगभग 8000 स्वास्थ्य गाईड ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही काम कर रहे है। हम जच्चा तथा िाशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने तथा क्षयरोग, कुश्ड रोग और अंधेपन के रोगों की रोकथाम के लिए पहले ही बहुत जोर दे रहे है। स्वास्थ्य के सुधार के लिए जनता का सहयोग अनिवार्य है। जब तक हम अपने घरों को साफ सुथरा तथा परिवारों को छोटा नहीं रखेंगे, बच्चे तथा माताएं स्वस्थ नहीं रह सकते। परिवार नियोजन में हरियाणा दे ा में सबसे आगे है। राज्य ने जनवरी 1983 के अन्त तक आनुपतिक लक्ष्य का 95 प्रति ात प्राप्त कर लिया हैं। मैं माननीय सदस्यों से तथा आपके माध्यम से राज्य की जनता से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को जन आन्दोलन के रूप में चलाएं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों को पीने के पानी की सप्लाई मेरी सरकार का प्रमुख कर्तव्य रहा है। वर्ष 1982-83 के दौरान 245 गांवों को जल सप्लाई की सुविधा देने के लिए 12.43 करोड़ रुपये का खर्च नियत किया गया था। यह लक्ष्य अब बढ़ा दिया गया है तथा आ ा है कि त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई

कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.73 करोड़ रुपये मिल जाने से तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत 2.53 करोड़ रुपये के विनिधान के परिणामस्वरूप इस वर्ष के समाप्त होने से पहले 105 गांवों को जल सप्लाई की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। अगले वर्ष 18.43 करोड़ रुपये की लागत से 365 और गांवों को यह सुविधा दिए जाने की आशा है।

राज्य ने प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से मिला कर देना में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। अब हमारा प्रयास हरिजन बस्तियों को भी पक्की सड़कों के साथ जोड़ने का है। वर्ष 1983-84 के दौरान तथा छठी योजना के भोश काल के लिए सरकार ने उन गांवों की हरिजन बस्तियों तक सड़कों पहुंचाने का निर्णय लिया है जहां हरिजनों की आबादी 50 प्रति गांव है। वि. व. बैंक योजना के दूसरे चरण में 250 की आबादी वाले उन गांवों को भी सड़कों से मिला दिया जाएगा जो कि निर्दिष्ट आबादी में प्रदत्त नहीं है। इस वर्ष के दौरान भोरगाह सूरी मार्ग को चार वीथी बनाने का काम दिल्ली-हरियाणा सीमा से मूरथल तक लगभग मुकम्बल कर लिया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर इस मार्ग को चालू वर्ष के दौरान 16 किलोमीटर आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार समालखा, पिपली तथा भाहबाद के आबादी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को चार वीथी बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

समाज कल्याण की ओर भी मेरी सरकार ने अपेक्षित ध्यान दिया है। हमने कमजोर वर्गों के लोगों, स्त्रियों तथा बच्चों के कल्याण पर अधिक बल दिया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन समेकित शिक्षा विकास सेवाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है। वर्तमान 12 परियोजनाओं में 6 परियोजनाएं और बढ़ा दी गई हैं तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 11 परियोजनाएं और प्रत्याशित हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं तथा पूर्व विद्यालय शिक्षा के रूप में एकमुक्त सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और विमुक्त जातियों की उन्नति को, खास तौर पर उनकी शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए, उच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष के दौरान एक गृह निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। अनुसूचित जातियों के लोगों को अपने घर बनाने के लिए 2000 रुपये प्रति घर के हिसाब से सहायता दी गई। आवास बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे ग्रामीण घरों में से 65 प्रतिशत अनुसूचित जातियों को मिलेंगे। बराबरी और एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षाकार हुए अनुसूचित जाति के सदस्यों को सहायता देने की एक योजना भी शुरू की जाएगी। अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष घटक योजना अमल में लाई जा रही है जिससे इन जातियों के सभी सदस्यों को जो गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं, छठी योजना (1980-85) के पांच वर्षों के अर्से

में इस रेखा से ऊपर आने में सहायता दी जाएगी जबकि इस काम को पूरा करने का राष्ट्रीय लक्ष्य 10 वर्षों का है। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से अब तक 4.16 करोड़ रुपये के ऋण 18853 हरिजनों में बांटे हैं ताकि वे व्यवसाय, व्यापार तथा उद्योग धंधे आरम्भ कर सकें। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग निगम पिछले दो वर्षों से कार्य कर रहा है और अब इसकी अधिकृत पूंजी दुगुनी करके 4 करोड़ रुपये कर दी गई है। निगम का लक्ष्य 1.2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान 3000 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। विभिन्न भौक्षणिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं में दाखला लेने के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण का कोटा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। निर्धनों के आर्थिक उत्थान के लिए स्थापित किया गया निगम इस दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है।

ग्राम विकास को सफल बनाने की पूरी कोशिशों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र की ओर भी उचित ध्यान दिया गया है। राज्य में नियोजित बाहरी विकास में तेजी लाने के लिए, हरियाणा विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए 92.1 करोड़ रूपयों के महत्वाकांक्षी अनुमान तैयार किए गए हैं जबकि इसके लिए पिछले वर्ष का बजट केवल 26.53 करोड़ रुपये था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवासीय प्लॉट और बने बनाये मकान अलाट करना हरियाणा विकास प्राधिकरण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जोकि

20 सूत्री कार्यक्रम की भावना से प्रेरित है। इसी तरह आर्थिक आवासीय इकाइयां बनाने के लिए सहकारी गुप आवासीय योजना चालू की गई है।

सरकार ने तेरह भाहरों के लिए समेतिक विकास परियोजनाएं तैयार की है। नागरिक सुविधाओं की ओर भी पूरा ध्यान दिया गया है तथा भाहरों की सफाई और सुन्दरता को बेहतर बनाने के काम को अभियान स्तर पर भुरु किया गया है। मुख्य जोर पर्यावरण सुधार पर दिया गया है, जिसमें सुरक्षित पेयजल की सप्लाई, स्वच्छता को सुनिश्चित बनाने के लिए सीवरेज के पाईप डालना, गलियों में रोनी का प्रबन्ध करना, सार्वजनिक फ्लैट भौचालय और मनोरंजन केन्द्र बनाना शामिल है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर जुटाने और भाहरों की गंदी बस्तियों को सुधारने के लिए पहले से अधिक धन का विनिधान किया गया है। इसके लिए कार्य कुल नगर पालिका प्रशासन की आवश्यकता है। इसलिए सुचारु रूप से काम चलाने के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना की गई है।

हरियाणा में पर्यटन की निरंतर बढ़ रही गतिविधियों को नया बल मिला है। वर्तमान पर्यटन काम्पलैक्सों के नवीकरण के साथ साथ जहां भी जरूरत महसूस की गई, पर्यटन काम्पलैक्सों का विस्तार किया गया है। बिक्री और लाभ के बढ़ते हुए स्तर को कायम रखा गया है। नवीं एशियाई खेलों की नई चुनौती के

कारण 1982-83 का वर्ष, हरियाणा पर्यटन विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। दिल्ली के विभिन्न खेल स्टेडियमों में व्यापक स्तर पर खाने पीने का प्रबन्ध तथा भव्य राज हंस होटल का निर्माण हरियाणा पर्यटक निगम के लिए दो चुनौतीपूर्ण प्रमुख कार्य थे, जिन्हें इस निगम ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। लेकिन यह बात उल्लेख करने योग्य है कि हरियाणा पर्यटन निगम ने न केवल इस महान कार्य को पूर्ण किया, बल्कि सफलता का एक ऐसा उदाहरण रखा है जिससे निगम और इस महान राज्य के गौरव में वृद्धि हुई है। हरियाणा पर्यटन निगम ने राजहंस होटल के प्रमुख भाग का निर्माण लगभग दस मास के रिकार्ड समय में पूरा करवाकर इस होटल को आरम्भ किया। हरियाणा पर्यटन निगम ने नवीं एि ायाई खेलों के दौरान जो भानदार काम करके दिखलाया है, उसकी विशेष खेल आयोजन समिति और भारत सरकार ने भूरि भूरि प्र ांसा की है। दिल्ली में होने वाले गुट निरपेक्ष राष्ट्र सम्मेलन के दौरान एि ायाई गांव के कुछ भागों में खाने पीने का प्रबन्ध करने के लिए हाल ही में हरियाणा पर्यटन निगम को महान जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा में पर्यटन सुविधाओं का और प्रसार करने के लिए राज्य में नए पर्यटन काम्पलैक्सों की स्थापना का कार्य संतोशजनक गति से चल रहा है। पर्यटन विभाग, अम्बाला, कैथल, नरवाना और डबवाली आदि स्थानों पर नए पर्यटन काम्पलैक्स स्थापित करने की योजना बना रहा है।

इस वर्ष कानून और भांति व्यवस्था तथा अपराधों की स्थिति भी बहुत संतोशजनक और काबू में रही। राज्य में पूरे तौर पर साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा। पुलिस ने अपराधों की रोकथाम के लिए सभी तरह के सम्भव निवारक साधन अपनाकर असरदार कदम उठाए। डकैतों, लुटेरों और चोरों के गिरोहों को पकड़ने में भानदार सफलताएं प्राप्त की गईं। महिलाओं और कमजोर वर्गों पर किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए राज्य पुलिस द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। एगिायाइ खेलों की भांतिपूर्ण समाप्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए पुलिस तथा प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही प्रशंसनीय है।

राज्य सरकार अकालियों की क्षेत्रीय मांगों तथा अन्य मांगों पर, जिनका प्रभाव हरियाणा पर पड़ता है, केन्द्र सरकार तथा संसद के विपक्षी दलों से बातचीत करती रही है। इस विचार विमर्श से हरियाणा के विपक्ष के नेता पूरे तौर पर सम्बन्धित रहे हैं। मैं आपको विवास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए, भले ही उनका सम्बन्ध इलाके से हो या रावी ब्यास में फालतू पानी के हिस्से से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

पिछले वर्ष में मेरी सरकार द्वारा किए गए मुख्य कामों तथा नए वर्ष के कार्यक्रमों और सम्भावनाओं की यह एक झलक मात्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य की जनता की भलाई के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास सफल और उत्साहवर्धक सिद्ध

होगा। मुझे आता है कि अपने विचार विमर्श में आप जनता के प्रति अपने वायदों पर पूरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देंगे और उनके सामाजिक आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए यत्न करेंगे। मेरी कामना है कि आपके प्रयास सफल होंगे। जयहिन्द।

भाषक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री भाषक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वादय एवं भुदान आन्दोलन के पितामह आचार्य विनोवा भावे के 15 नवम्बर, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

आचार्य भावे का जन्म 11 सितम्बर 1985 को महाराष्ट्र के गांव गगोड़ा में हुआ। उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की और अपना जीवन देना सेवा के लिये समर्पित कर दिया। वह 1916 में साबरमती आश्रम में चले आए और महात्मा गांधी जी ने उन्हें वर्धा में नये आश्रम का प्रमुख बनाया। इसके बाद उन्होंने पवनार में एक अन्य आश्रम बनाया।

आचार्य भावे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनहें पहली बार 1932 में गिरफ्तार किया गया और 6 मास के लिये जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी ने 1940 में चलाये गये

नागरिक अवज्ञा आन्दोलन में उन्हें अपने पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया व तीन वर्ष के लिये जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के पचास दिनों के बाद उन्होंने फिर सत्याग्रह किया तथा 6 मास के लिये फिर बन्दी हो गये।

आचार्य भावे स्वाधीनता सेनानियों की पीढी के एक सन्त सेनानी थे जो भारत में समाज सुधार के प्रकाशक स्तम्भ बने और जिन्होंने 1951 में भूदान यज्ञ का श्रीगणेश किया और गोहत्या के विरुद्ध सतत अभियान का संचालन किया। उन्होंने 64 हजार से अधिक किलोमीटर की पैदल यात्रा की व भूमिपतियों से 60 हजार हैक्टेयर से भी अधिक भूमि प्राप्त की और भूमिहीनों में बांटी। उन्होंने "ग्राम राज" व सर्वोदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने 1960 में मध्य प्रदेश के दस्यु क्षेत्र भिंड व मुरैना जिलों में भ्रमण किया। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के ऐसे सच्चे शिष्य थे जिन्होंने अपना सारा जीवन गांधीवादी जीवन पद्धति, सत्य, अहिंसा और त्याग के लिये अर्पित कर दिया।

चौदह भाषाओं के ज्ञाता आचार्य विनोबा भावे ने हिन्दी व मराठी भाषाओं में कई पुस्तकें लिखीं।

उनके निधन से देश एक ऐसी महान सन्त विभूति से वंचित हो गया है जिसने अपना सारा जीवन मानवता और विश्वास कर दलितों की सेवा में अर्पित कर दिया। सदन दिवंगत के

भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हैं ।

यह सदन सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री लियोनिद इलीच ब्रेझनेव के 10 नवम्बर, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है ।

श्री लियोनिद इलीच ब्रेझनेव का जन्म 19 दिसम्बर, 1906 को युकेन राज्य के प्रसिद्ध इस्पात केन्द्र दनेप्रोदजेर-झिन्स्क में हुआ। उन्होंने धातु विज्ञान से इंजीनियरिंग में स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद स्थानीय इस्पात मिल में कार्य किया।

श्री ब्रेझनेव ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और 1966 में वह पार्टी के प्रमुख बने। वह 1977 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। वह 16 वर्ष तक सोवियत संसद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इस अवधि में, सोवियत संघ ने आन्तरिक एवं वि व भ्रान्ति के लिये सहयोग की उदार नीति अपनाई।

राष्ट्रपति ब्रेझनेव वि व में आपसी तनाव को कम करने में गहरी रूचि रखते थे। उन्होंने अपनी तरफ से एक -तरफा घोशणा करके कि वह आणविक हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगें और उन्होंने अन्तर्वर्ती रेंज मिसाइलों के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाकार वि व तनाव को कम करने का प्रयत्न किया। पहली

“ आस्त्रीकरण सीमा सन्धि” पर श्री ब्रेझनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति श्री निक्सन ने मई 1972 में मास्को में हस्ताक्षर किये थे। दूसरी सन्धि पर 1974 में सहमति हुई जिस पर राष्ट्रपति ब्रेझनेव व अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री कार्टर ने वियाना में 5 साल बाद हस्ताक्षर किये। उन्होंने अपने निधन से 3 दिन पूर्व ही कैमलिन में यह घोषणा की कि उनका देश निः आस्त्रीकरण और वि व में तनाव को कम करने के लिये काम करता रहेगा।

श्री खु चेव और श्री कोसिगिन के साथ श्री ब्रेझनेव भी सोवियत और भारत की मित्रता के िाल्पी थे। सोवियत संघ के साथ भारत की भान्ति, मित्रता और आपसी सहयोगी की बीस वर्षी सन्धि पर भारत और सोवियत संघ ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये थे।

उनके निधन से भारत ने अपना एक महान मित्र, सोवियत संघ ने अपना एक महान िाल्पी तथा वि व ने भान्ति का एक महान समर्थक खो दिया है यह सदन दिवगत के भोक-संतप्त परिवार के सदस्यों तथा सोवियत जनता से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती भान्नो देवी के 27 नवम्बर, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भोक प्रकट करता है।

श्रीमती भान्नों देवी का जन्म 2 जून, 1902 को हुआ। उन्होंने स्नातक कन्या महाविद्यालय जालन्धर में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1919 में समाज सेवा का कार्य आरम्भ किया।

श्रीमती भान्नो देवी 1940 में पहली बार अविभाजित पंजाब की प्रान्तीय विधान सभा के लिये चुनी गईं। उन्होंने 1950 में पंजाब विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर कार्य किया और 1962 में पुनः पंजाब विधान सभा की उपाध्यक्षा चुनी गईं और पंजाब के विभाजन तक वह इसी पद पर रही। तत्पश्चात् उन्हें हरियाणा विधान सभा में आबंटित किया गया। वह दिसम्बर, 1966 में हरियाणा विधान सभा की पहली अध्यक्ष चुनी गईं और 17 मार्च, 1967 तक वह इस पद को सुशोभित करती रही।

श्रीमती भान्नों देवी 1920 से 1935 तक समाज कल्याण बोर्ड की सदस्या रही। उन्होंने 1936 से 1940 तक हिन्दी दैनिक पत्रिका "शक्ति" का संपादन किया। वह कन्या महाविद्यालय, जालन्धर की प्रिंसिपल रही।

उनके निधन से देश एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, एक योग्य सांसद तथा एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है।

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल श्री उज्जल सिंह के 15 फरवरी, 1983 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

श्री उज्जल सिंह का जन्म 27 दिसम्बर, 1895 को जिला भाहपुर जो अब पाकिस्तान में है, के एक गांव हाडल में हुआ। लाहौर के गवर्नमेंट कालेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने 1916 में इतिहास में एम0ए0 किया। इसके भीघ बाद वह राजनीति में आ गये और िरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के संस्थापक सदस्य रहे। वह 1930 तक इसमें काम करते रहे।

श्री उज्जल सिंह ने पंजाब के सिख भाहरी निर्वाचन क्षेत्र से 1926 में पंजाब विधान सभा में प्रवेश कर अपने संसदीय जीवन का आरम्भ किया तथा वह 1956 तक विधान सभा में रहे। उनहोने 1937 से 1942 तक सर सिकन्दर हयात खान के मंत्रिमण्डल में संसदीय सचिव (गृह) के पद पर कार्य किया, लेकिन 1942 के "भारत छोड़ो आन्दोलन" के दौरान उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वह 1930 तथा 1931 में हुई पहली तथा दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस में िश्टमंडल के सदस्य के रूप में चुने गये। उनहोने संघीय संरचना समिति व अन्य समितियों में कार्य किया। जब तत्कालीन वायसराय लार्ड विलिंगडन ने दोनो गोलमेज कान्फ्रैसों के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये सुधार परामर्श समिति का गठन किया तो उनहें पुनः उस समिति में सदस्य के रूप में ले

लिया गया। कुछ साम्प्रदायिक फैसलों के विरोध में उन्होंने 1932 में त्यागपत्र दे दिया।

श्री उज्जल सिंह ने 1932 में इलाहाबाद में हुये अखिल भारतीय एकता सम्मेलन में भाग लिया था। अक्टूबर 1945 में वह क्यूबेक में खाद्य एवं कृषि पर हुई यू0एन0 कांफ्रेंस में भी भागिल हुये। वह 1945 से 1949 तक केन्द्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिशद के सदस्य रहे।

श्री उज्जल सिंह 1946 में पंजाब संविधान सभा के सदस्य चुने गये। 1949 में वह पूर्वी पंजाब सरकार में खाद्य आपूर्ति एवं उद्योग मंत्री बने। वह 1952 में पुनः विधान परिशद के लिये चुने गये ओर 1956 तक वित्त तथा उद्योग मंत्री रहे वह जून 1956 से सितम्बर 1957 तक दुसरे वित्त आयोग के सदस्य भी रहे।

श्री उज्जल सिंह सितम्बर 1965 में पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुये तथा जून 1966 तक इस पद पर रहे। तत्पश्चात वह मद्रास के राज्यपाल बने।

श्री उज्जल सिंह उत्तरी भारत के चैम्बर आफ कामर्स के दो बार प्रेजिडेंट बने। वह भारतीय जीवन बीमा निगम, इन्टरस्ट्रीयल केबलज (इंडिया) लिमिटेड हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरीज तथा नैशनल कोल डिवेलपमेंट कारपोरेटन जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों के निदेशक व अध्यक्ष रहे।

उनके निधन से देा एक योग्य प्रासाक तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक सतंप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन आसाम के भूतपूर्व मुख्य मंत्री एवं पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल श्री महेन्द्र मोहन चौधरी के 27 दिसम्बर, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री चौधरी का जन्म 1908 में आसाम के जिला कारूप के बारपेटा उप-मंडल में नौगांव मे हुआ। श्री चौधरी ने शिक्षा गोहाटी में प्राप्त की। वहीं से उनहोंने "लॉ की डिग्री" प्राप्त की। वह 1936 में "बारपेटा-बार" में सम्मिलित हुये वह 1949 में वह आसाम हाई कोर्ट के वकील बन गये।

श्री चौधरी 1946 में आसाम विधान सभा के बारपेटा (दक्षिण) चुनाव क्षेत्र से निर्विरोध चुने गये। श्री चौधरी गोपीनाथ बारदोली मंत्रीमंडल में उपमंत्री रहे। इसके बाद उन्हें कृषि, खाद्य ग्रामीण विकास तथा प्रचार विभागों के मंत्रीपद का कार्यभार सौंपा गया।

श्री चौधरी ने 1955-56 में आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेजीडेंट बनने पर मंत्रीपद से त्याग-पत्र दे दिया। वह 1956-57 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी बनाये गये। उनहोंने 1958 में पुनः राजनीति में प्रवेश किया और

उसी वर्ष वह आसाम विधान सभा के उप-चुनाव में चुने गये। वह 1959 से 1967 तक विधान सभा के अध्यक्ष रहे।

श्री चौधरी आसाम मंत्रीमंडल में मंत्री तथा आसाम कांग्रेस विधायक दल के उप नेता के पदों को कई वर्षों तक सु गोभित करते रहे। नवम्बर 1970 से जनवरी 1972 तक वह आसाम के मुख्यमंत्री रहे। पंजाब के राज्यपाल बनने से पूर्व वह राज्य सभा के सदस्य थे। उनहोंने 1973 से 1977 तक पंजाब के राज्यपाल पद को सु गोभित किया।

श्री चौधरी का सम्बन्ध कई समाचार संगठनों से था तथा उन्होंने कई साप्ताहिक पत्रों का सम्पादन किया।

उनके निधन से देश में गांधी जी के आदर्शों के एक पक्के अनुयायी तथा एक प्रमुख सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सहानुभुति प्रकट करता है।

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री चौधरी सूरज मल के 25 जनवरी, 1983 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

चौधरी सूरज मल का जन्म पहली जनवरी, 1901 को हुआ। हिसार व रोहतक में अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के पचास साल बाद उनहोंने लाहौर से एल.एल.बी. की परीक्षा पास

की। 1925 में उन्होंने हिसार में अपनी वकालत आरम्भ की। वह छः वर्ष तक "जिला बार ए सोसिएशन" के प्रधान रहे।

चौधरी सूरज मल ने 1928 में राजनीति में प्रवेश किया। वह जिला बोर्ड हिसार के सदस्य तथा उप-सभापति चुने गये। उन्होंने कई बार इस बोर्ड के उप-सभापति के पद पर कार्य किया और वह 1954 तक इसके सदस्य रहे।

उन्होंने 1928 से 1954 तक स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में कार्य किया और वह कई बार इसके वाइस-चेयरमैन चुने गये।

चौधरी सूरज मल संयुक्त पंजाब में निजी संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव के पदों पर नियुक्त किये गये। वह 1937 से 1946 तथा 1946 से 1952 तक पंजाब विधान सभा के हांसी निर्वाचन क्षेत्र का तथा 1952 से 1954 तक पंजाब विधान परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। वह भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी चुने गये। वह 1947 से 1948 तक भरतपुर रियासत के दीवन (मुख्यमंत्री) भी रहे। 1957 के आरम्भ में वह संयुक्त पंजाब के मंत्री बने तथा उन्होंने टोहाना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

उनके निधन से देश किसानों के एक हितैशी और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन

दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है।

यह सदन संसद सदस्य श्री पीलू मोदी के 29 जनवरी, 1983 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री मोदी का जन्म 4 नवम्बर, 1926 को बम्बई में हुआ था। उन्होंने अमेरिका के कैलीफोर्निया विद्यालय से वास्तुकला में मास्टर डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1951 से 1953 तक उन्होंने श्री ला कबर्जजिये के साथ चण्डीगढ़ परियोजना पर कार्य किया।

श्री पीलू मोदी 1967 में गुजरात के गोधरा चुनाव क्षेत्र से लोक सभा के लिये चुने गये और 1971 में वह पुनः निर्वाचित हुये। अप्रैल 1978 में वह राज्य सभा के लिये चुने गये। वह संसद ओर उसके बाहर अपने हास्य-विनोद के लिये बहुत प्रसिद्ध थे।

श्री मोदी का सम्बन्ध कई राजनीतिक दलों से था। वह "मार्च आफ दी ने न" साप्ताहिक पत्रिका के प्रबन्धक ट्रस्टी एवं सम्पादक भी रहे। उनहोने अपनी पुस्तक, "जुल्फी माई फंड" लिख कर हलचल मचा दी। वह 1972 के विमला विखर सम्मेलन से भी सक्रिय रूप से सम्बन्ध थे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है।

यह सदन संसद सदस्य प्रो. मुकन्द मंडल के 20 अक्टूबर, 1982 को हुये दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

प्रो. मुकन्द मंडल का जन्म 22 नवम्बर, 1947 को पश्चिमी बंगाल में गांव धनुर्हट में हुआ। वह अंचन हाई स्कूल बी. एस. कालेज, टेगराखली, गोयनका कालेज आफ कामर्स एंड बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन, कलकत्ता व फकोरचन्द कालेज, डायमंड हारबर में पढे और एम.काम. व बी.एड. की। उनहोंने 24 परगनें में ध्रुव चन्द हालदर कालेज में कामर्स के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया।

प्रो. मंडल 1971 में पश्चिमी बंगाल विधान सभा में तथा 1977 में व 1980 में लोक सभा के लिये चुने गये। उनहोने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढावा देने व दलितों के उत्थान में गहरी रूचि ली।

प्रो. मंडल के निधन से देश में एक शिक्षाविद व प्रख्यात सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन कप्तान सीसराम, भूतपूर्व विधायक, हरियाणा विधान सभा के हाल में हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 20 अक्टूबर, 1922 को पटौदी के पास खोड़ गांव में हुआ। जीवन का काफी समय उन्होंने एक निश्ठावान सैनिक के रूप में बिताया। सेवामुक्त होने के बाद वे अपने क्षेत्र के विकास में जुट गये। वे ब्लाक समिति पटौदी के अध्यक्ष, जिला परिषद गुड़गांव के सदस्य तथा हेली मंडी मार्किट कमेटी के पदों पर काम करते रहे।

कप्तान सीसराम 1972 से 1977 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभव विधायक तथा समाज सेवी की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व विधायक वैद श्री कृष्ण के पहली मार्च, 1983 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

वैद श्री कृष्ण जिला जींद में स्थित जीतगढ़ गांव के रहने वाले थे। वह प्रजामंडल आन्दोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक अनुभवी वैध थे और बड़ी निश्ठा से उन्होंने जन सेवा की थी। उनका जीवन सरल और सादा था।

वैद श्री कृष्ण 1957 से 1962 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे।

उनके निधन से राज्य एक प्रमुख स्वाधीनता सेनानी, एक अनुभवी विधायक तथा एक निश्ठावान समाजसेवी की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक सतंप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री हरिविष्णु कामथ के 9 अक्टूबर, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री कामथ का जन्म 13 जुलाई, 1907 को मंगलूर (कर्नाटक) में हुआ। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने गांव में हुई व 1928 में उनहोने विज्ञान की डिग्री मद्रास विविद्यालय से प्राप्त की। उनहोने 1930 में आई.सी.एस. में प्रवेश पाया व मध्य प्रान्त व बरार सरकार में कई न्यायिक व प्रशासनिक पदों पर कार्य किया।

श्री कामथ ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिये वर्ष 1938 में 26 जनवरी को आई.सी.एस. से त्यागपत्र दे दिया। उस समय यह दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। उनहोने कांग्रेस फारवर्ड ब्लाक, प्रजा समाजवादी पार्टी में व समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण वह 1940 से 1945 तक जेल में रहे। श्री कामथ 1946 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य और 1950 से 1952 तक अस्थाई संसद के सदस्य रहे। वह 1955 से

1957, 1962 से 1967 तथा 1977 से 1979 तक लोक सभा के सदस्य रहे। श्री कामथ 1966 से 1970 तक प्रौद्योगिक सुधार आयोग के सदस्य वह 1979 में प्रेस परिषद के सदस्य रहे। 1977 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के वैकल्पिक नेता के रूप में कार्य किया।

श्री कामथ को दूरि- शास्त्र, साहित्य, ज्योतिष व योग में गहरी रुचि थी। वह अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक थे।

श्री कामथ के निधन से देश के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, योग्य प्रौद्योगिक एवं अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद श्री महमूद हसन खान के 5 दिसम्बर, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाक प्रकट करता है।

श्री खान का जन्म 26 जनवरी, 1930 को हुआ। वह व्यवसाय से कृशक थे। उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। और 1975-76 में बुलन्द भाहर जिला के भारतीय लोकदल के प्रधान चुने हुये। वह 1977 में पहली बार लोक सभा के लिये चुने गये। तथा 1979 तक इसके सदस्य रहे। वह 1980 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के अपने पुराने चुनाव क्षेत्र से

पुनः चुने गये। वह नगरपालिका बुर्जा के सदस्य तथा चेयरमेन भी रहे।

उनके निधन से दे । एक योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया हैं यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री श्रीचन्द गोयल के 23 दिसम्बर, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री गोयल का जन्म 15 अगस्त, 1915 को जिला करनाल के गांव कौम्बाला में हुआ। उन्होंने सैंट स्टीफन कालेज, दिल्ली से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद दिल्ली वि विद्यालय से एल0एल0बी0 की परीक्षा की। उन्होंने वकालत आरम्भ की और वह जिला बार ऐसासिए ान, संगरूर के प्रेजीडेंट तथा पंजाब हाई कोर्ट की "बार काउन्सिल आफ इंडिया" के कोशाध्यक्ष बनाये गये।

श्री गोयल ुरवरी 1958 से अप्रैल 1960 तक तथा 27 अप्रैल, 1964 से 31 अक्टूबर, 1966 तक पंजाब विधान परिशद के सदस्य रहे। वह 1967 में चण्डीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये चुने गये। उन्होंने याचिका समिति के चेयरमैन, पंजाब विधान परिशद की सरकारी आ वासन समिति के सदस्य तथा पंजाब विधान सभा की लोक लेखा एवं अनुमान समिति के सदस्य के रूप

में कार्य किया। उनका नाम पंजाब विधान परिषद के चेयरमैन के पैनल पर भी बहुत लम्बे समय तक रहा।

श्री गोयल 1977-78 में हाई कोर्ट एसोसिएशन के प्रेजिडेंट रहे। कुछ समय तक वह केन्द्रीय गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य और मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़ की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

उनके निधन से देश एक प्रमुख वकील, अनुभवी सांसद तथा एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री चिन्तामणी द्वारकानाथ देवामुख के 2 अक्टूबर, 1982 को हुये निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री देवामुख का जन्म 13 जनवरी, 1896 को महाराष्ट्र के गांव नाटा में हुआ। उनहोने बम्बई, कैम्ब्रिज विविद्यालयों व इनर टैम्पल, लंदन से शिक्षा प्राप्त की और 11 वर्ष की आयु के पचास नये भौक्षणिक कीर्तिमान स्थापित किये। विधि स्नातक श्री देवामुख 1918 में आई.सी.एस. की परीक्षा में बैठे व प्रथम रहे। उन्होनें 1919 से 1939 तक मध्य प्रान्तों तथा बरार सरकार में उच्चस्तरीय प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कार्य किया। वह 1939 में केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किये

गये। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सैन्ट्रल बोर्ड में कुछ समय तक निदेशक के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के पश्चात् वह 1943 तक इसके सचिव भी रहें। 1949 तक उनहोंने पहले डिप्टी गवर्नर तथा बाद में गवर्नर के पदों को सुभोगित किया। इस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचाने वाले वह पहले भारतीय थे।

श्री देशमुख 1932 से 1937 तक केन्द्रीय प्रान्त व बरार राज्य की विधान परिषद के सदस्य रहे। 1950 से 1956 तक वह संसद सदस्य, वित्त मंत्री और योजना आयोग के सदस्य रहे।

श्री देशमुख बहुत सी सामाजिक तथा भौक्षणिक संस्थाओं में उच्च पदों पर रहे। वह 1956 से 1961 तक वि. वि. विद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष तथा 1962 से 1967 तक दिल्ली वि. वि. विद्यालय के कुलपति रहे। उनहोंने विदेशों में कई कॉन्फ्रेंसों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनहें भारतीय तथा विदेशी वि. वि. विद्यालयों से लगभग 15 मानद उपधियों से अलंकृत किया गया। प्रो. संनीय सेवाओं के परिणामस्वरूप उनहें मैगसेसे पुरस्कार एवं 1975 में पद्म विभूषण से सम्मनित किया गया।

श्री देशमुख के निधन से देश एक प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री, मेधावी शिक्षाविद् एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाग्य सतत परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री देस राज महाजन के 8 दिसम्बर 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री महाजन का जनम 16 अक्टूबर, 1921 को चम्बा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा राजकीय हाई स्कूल, चम्बा में प्राप्त की और कानून में स्नातक की उपाधि लाहौर से प्राप्त की। उन्होंने 19 वर्ष वकालत की ओर प्रमुख वकीलों में अपना स्थान बना लिया।

श्री महाजन 1958 में नगरपालिका, चम्बा के प्रेजिडेंट भी चुने गये। उन्होंने 1962 तथा 1965 में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों एवं राहत समिति के कार्यों में गहरी रुचि ली। वह भारत सेवक समाज के चेयरमैन रहे और उन्होंने 1965 से 1971 तक हिमाचल सदाचार समिति के प्रेजिडेंट पद को सुशोभित किया। उन्होंने 1970-71 के दौरान हिमाचल प्रदेश हरिजन एवं आदिम जाति सेवक संघ के चेयरमैन पद पर भी कार्य किया।

श्री महाजन 1963 से 1967 तक हिमाचल विधान सभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने प्रिजाइडिंग आफिसर कमेटी में दो बार कार्य किया। वह 1972 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिये पुनः चुने गये और मंत्रीमंडल में राजस्व मंत्री के पद पर कार्य किया। वह शिक्षा व परिवहन मंत्री भी रहे। उन्हें 1982 में

हिमचल प्रदेश 1 विधान सभा के लिये पुनः चुना गया तथा उन्हें परिवहन मंत्री का कार्यभार सौंपा गया।

उनके निधन से देश 1 एक अनुभवी विधायक तथा एक समाज सेवी की सेवाओं से वंचित हो गया है यह सदन दिवंगत के भोक्त-सतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, श्री प्यारे लाल के 27 अक्टूबर, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भोक्त प्रकट करता है।

श्री प्यारे लाल का जन्म 1899 में दिल्ली में हुआ। राजकीय कालेज, लाहौर से अंग्रेजी आनन्द में स्नातक पास करने के बाद वह एम0ए0 में दाखिल हुये। 1920 में उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के लिये कालिज छोड़ दिया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वह सात या आठ बार जेल गये। वह लम्बी अवधि के लिये गांधी जी के निजी सचिव रहे वह 1930 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये उनके साथ लन्दन गये। इसके पश्चात् वह बर्मा व लंका भी गये और 1946 के साम्प्रदायिक झगड़ों के दौरान बंगाल गये। वह 1965 में सरहदी गांधी अब्दुल गफ्फार खान जी को मिलने काबुल गये।

श्री प्यारे लाल, जो एक विख्यात पत्रकार भी थे, ने गांधी जी द्वारा भुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका "हरिजन" का

सम्पादन सम्भाला तथा वह "यंग इंडिया" के लिये भी लिखते रहे। वह गांधी जी के जीवन-दिन तथा विचारधारा के अधिकृत व्याख्याता थे। वह आत्म-निर्भर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। वह अनेक पुस्तकों के लेखक थे।

उनके निधन से देश एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवाद के विवेचक व विख्यात लेखक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक -सतंप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदनाप्रकट करता है।

यह सदन सर्वश्री निकोलाई वी पोदगार्नी, सोवियत संघ के भूतपूर्व राष्ट्रपति कांडाजी बासप्पा, भूतपूर्व केन्द्रीय उप-मंत्री, गुनानन्द ठाकुर, चेगीरेड्डी वाली रेड्डी, श्री कृष्ण अग्रवाल एच०आर. गूर्वा रेड्डी, रघुवीर सिंह, एन०एच० कुम्भारे, दिनकर देसाई, चिमलाल चाकुभाई तथा अनिरुद्ध सिनहा, संसद के भूतपूर्व सदस्य, निरंजन नाथ वांचू, मध्यप्रदे ा और केरल के भूतपूर्व राज्यपाल, रामचन्द्र काक, जम्मू व कश्मीर रियासत के अन्तिक प्रधान मंत्री, एम०डी० अलीमुदीन मनीपुर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, डा० पी०सी० घोश, पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रयम्बकलाल दवे, गुजरात के मंत्री श्रीमती भारदचन्द्रिका पाटिल, महाराष्ट्र की मंत्री सर्वश्री भांकर गुप्ता, पश्चिमी बंगाल के मंत्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा, ठाकुर बलबीर सिंह, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री , सर्वश्री भंजीभाई पटेल व बाजुभाई भाह डा० ए०बी० नागे वर राव, आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व

मंत्री श्री जसदेव सिंह, पंजाब के भूतपूर्व मंत्री, डा० रामराज प्रसाद सिंह, बिहार के भूतपूर्व मंत्री सर्वश्री रामकर्ण जोषी, राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री लाल चन्द प्रार्थी, हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री रणजीत सिंह, जम्मू तथा कश्मीर के भूतपूर्व मंत्री, मोहम्मद अली महताब अली, कर्नाटक के भूतपूर्व मंत्री राजबिहारी सिंह, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री, रविन्द्र किशोर साही, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्य मंत्री, टिक्का जगतार सिंह, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व उपमंत्री, हेमराज जंडियाल, जम्मू तथा कश्मीर विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, सोहन लाल बंसीवाल, विधायक राजस्थान, सरदार सिंह, अब्दुल रहमान फारूकी तथा श्रीमती तारा ज्योति भार्गवा, मध्यप्रदेश के विधायक, सर्वश्री चरणजीत सिंह विक्रम, उत्तरप्रदेश के विधायक, भामसूज जोषा, पश्चिमी बंगाल के विधायक, एल०एस० देसाई कर्नाटक के विधायक, रामकुमार, भजन लाल वदना राम, पंजाब के भूतपूर्व विधायक, एम०आर० तारु, पंजाब के भूतपूर्व एम०एल०सी०, पी०एन०थापर (आई०सी०एस०) लुधियाना कृषि विज्ञान विद्यालय के भूतपूर्व कुलपति, के०पी०एस० मेनन, चीन व सोवियत संघ में भारत के भूतपूर्व राजदूत इलाचान्द जोषी, प्रसिद्ध हिन्दी उपन्यासकार, कवि व पत्रकार, प्रमोद दास गुप्ता, रूसी साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के राजनीतिक विभाग के वरिष्ठ सदस्य और के०एन०कौल, प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन के भोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढ़डा): स्पीकर साहब, यह जो लीडर आफ दी हाउस ने भोक प्रस्ताव पे किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ और जो दिवंगत आत्मायें हमसे जुदा हो गयी है, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित करती हूँ और उनके परिवारों को भी अपनी सहानुभुति भेजती हूँ। स्पीकरसाहब इनमें से कुछ एक व्यक्ति तो मेरे व्यक्तिगत वाकिफ भी थे। मैं आर्चा विनोबा भावे जी को अपनी श्रद्धांजली देती हूँ। उन्होंने अपने जीवन में ग्रामीण लोगों के लिये बड़ी किताबें लिखी। प्रधान मंत्री सहित बड़े-2 लोग उनके दान करने के लिये और उनसे आर्षादान लेने के लिये जाते थे लेकिन उनकी बातों पर अमल किसी ने भी नहीं किया और न ही करना चाहते हैं। इसी तरह से भान्ना देवी जी कान्ति का बड़ा कार्य करती रही, लेकिन उनके अन्तिम दिन बड़े दुखद थे। मैं उनसे अस्पताल में मिलकर आयी थी उनकी कोई देखभाल न थी। वह बड़ी दुखद थी। सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये था लेकिन अफसोस है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से सरदार उज्जल सिंह जो पंजाब के एक सपूत थे, ने पहले-पहल किसानों को गेहूँ की उचित कीमत दिवाने में पहल की थी। उज्जल सिंह कमेटी इसके लिये बड़ी माहूर हुई है और उन्होंने किसान को पहली बार उसके उत्पादन का, उसकी मेहनत का जो खर्चा है उसको मिलना

चाहिये इसके लिये उनहोने किसानों को रास्ता दिखाया ओर उनका मार्ग दर्शन किया। इसी तरह से श्री महेन्द्र मोहन चौधरी, जब हम कांग्रेस में थे, तो वह सैक्रेटरी हुआ करते थे, को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करती हूँ। चौधरी सूरज मल किसाना वर्ग से सम्बन्ध रखते थे। उन्होंने पंजाब में जब वे पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर थे, अपने वक्त में बड़ी सेवा की। उन्होंने गांवों को सड़कों से मिलाने का काम अपने वक्त में भुरू किया था। इसी तरह से महमूद हसन खां को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करती हूँ। श्री चन्द गोयल तो चण्डीगढ़ से चुने गये थे उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करती हूँ। श्री महमूद हसन खां हमारे लोक दल में थे, उनका असमय निधन हुआ है इससे हमें बड़ी क्षति हुई है। इसी तरह से श्री चिन्तामणि देवमुख जी के बारे में मैं समझती हूँ कि जो कुछ उनहोने देश के लिये किया, वह बहुत बड़ी बात थी। वे केन्द्र के वित्तमंत्रियों में से योग्यतम वित्त मंत्री थे लेकिन जो भी योग्यतम वित्त मंत्री रहे है, उनका कार्यकाल भी उतना ही थोडा रहा है इस तरह से देसराज महाजन जी को भी मैं जानती थी। वे अपने लोगों में बड़े प्रिय थे और अच्छे लोगों में उनकी गिनती होती थी। इसी तरह से हदूसरे बहुत सारे महानुभाव है, अगर मैं उन सब के नाम लेने लगूँ तो काफी समय लग जायेगा इसलिये मैं उनका नाम नहीं लूंगी। मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम ले दिये है। मैं उन सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि पेश करती हूँ। इसके अलावा रामकुमार हमारे भिवानी जिले में पंजाब के वक्त में थे। इसी तरह से राम करण जोशी, राजस्थान के थे। यह सारे

आजादी के पहले के लोग है। इसी तरह से दूसरे एम0पीज0, एम0एल0एज0 और भूतपूर्व मंत्रियों सहित, इन सब के लिये अपनी श्रद्धांजलि देना करती है और अपनी सहानुभूति भाग्य-संतप्त परिवारों को भेजती हूँ।

(16.00 बजे)

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, इस सदन की पिछली बैठक से लेकर आजतक इस देश की बहुत सी महान विभूतियां हमसे जुदा हो गई हैं। स्पीकर साहब, इस थोड़े समय में 63-64 विभूतियां हमसे जुदा हुई हैं। आचार्य विनोबा भावे इंटरनेशनल फ़ेम के नेता थे। उनकी अपनी फिलौसफी थी और अपनी उस फिलौसफी के तरीके से ही इस देश के इंकलाब लाना चाहते थे। उन्होंने तकरीबन सारे हिन्दुस्तान का दौरा किया था ताकि वे अपनी फिलौसफी को अमलीजामा पहनासके। आचार्य विनोबा भावे जब तक जीवित रहे हम सब की प्रेरणा का स्रोत बने रहे। उनके जाने से देश में एक ऐसा स्थान खाली हो गया है जिसकी पूर्ति करना असम्भव है।

इसके अलावा स्पीकरसाहब, श्रीमती भान्नों देवी जोकि हरियाणा विधान सभा की पहली स्पीकर थी वे भी हमसे जुदा हो गई हैं। वे बहुत ही पुरानी स्वतंत्रता सेनानी थी। मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं मिला लेकिन उनके बारे में

काफी चर्चा सुनी ठे कि वे बहुत ही स्पष्ट वक्ता और बहुत ही मजबूत विधायिका रही थी।

इसके अलावा चौधरी सूरजमल जोकि मेरे जिले के ही थे, और वे केवल अपने जिले के ही नहीं थे बल्कि मेरा उनके परिवार के साथ बहुत ही गहरा सम्बन्ध रहा है। उन्होंने जितने भी चुनाव लडे मेरे परिवार ने उनकी हमे 11 मदद की। स्पीकरसाहब, चापैधरी सूरजमल बहुत ही साफ गौ आदमी थे। राजनीतिज्ञ तो बहुत लोग होते हे और मंत्री भी बहुत लोग होते है लेकिन उनके अन्दर एक खास सिफत थी कि वे लोगों को एक्सप्लायट नहीं करते थे, वे लोगों को बहकाते नहीं थे बिल्कुल सपष्ट बात कहते थे और जहां कही भी किसान के हित की बात होती थी तो बडी मजबुती के साथ वे अपना स्टेण्ड लिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, चौधरी सूरजमल जब तक राजनीति में रहे सारे पंजाब में उनका अपना एक स्थान रहा और हिसार जिला तो विशेष तौर पर उनका ऋणी रहेगा। चौधरी सूरजमल ने किसान के हित के लिये बहुत से ऐसे काम किये जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनके पांचो लडके बहुत उंचे ओहदों पर हैं उनका एक सुपुत्र चौधरी जसवंत सिंह मिनिस्टर भी रहे है। उनके पौते भी अच्छे पदों पर हैं उनके इस संसार से उठ जाने से हरियाणा को काफी नुकसान हुआ है और हिसार जिले को विशेषतौर से नुकसान हुआ है। हिसार जिला और खासतौर से हांसी का इलाका उनके नेतृत्व से वंचित हो गया है।

स्पीकर साहब, श्री पीलू मोदी बहुत ही बढिया किरम के नेता थे। मैंने कभी भी उनके चेहरे पर कोई िकन नहीं देखी। पांच-छः साल तक मेरा उनसे सम्पर्क रहा हैं वे हर बात फिलौस्फीकल अन्दाज से करते थे, और बहुत ही हंसी खुी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। पीलू मोदी जैसे नेता का हमारे बीच से उठ जाना ऐसा है जिसकी पूर्ति होना बहुत ही मुिकल है।

श्री श्रीचन्द गोयल भारतीय जनता पार्टी और पुरानी जनसंघ के वरिष्ठ नेताओं में से थे। वकील होने के नाते से मेरा उनसे सम्पर्क रहा हैं वे भी बहुत ही अच्छे वक्ता और अच्छी सूझबूझ के नेता थे। उनके स्वर्गवास हो जाने से जहां उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है वहां वकीलों की जो बार एसोसिएान है उसने भी एक ऐसे नेता को खो दिया हे जिसके स्थान को पूरा करना ही मुिकल है।

श्री रघुबीर सिंह भास्त्री उत्तर प्रदेश के जाने माने व्यक्ति रहे है। बहुत दृढ़ आर्यसमाजी थे ओर आर्यसमाज के बडे नेताओं में से एक थे। उनके चले जाने से आर्य समाज को काफी हानि हुई है जिसकी पूर्ति करना बडा ही मुिकल है।

स्पीकर साहब, 63-64 विभुतियां इस संसार से उठ गई है। मैं अपने दल की तरफ से अपनी तर से इन सब को श्रद्धालि अर्पित करता हू। स्पीकर साहब, मैं आपकी ईजाजत से लीडर आफ

दि हाउस से एक रिकवैस्ट करना चाहता हूं कि हरियाणा के भतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जो इस सदन के माननय सदस्य है उनके दामाद श्री पृथ्वी सिंह की परसों अचानक मृत्यु हो गई। मुक्ति कल से उनकी आयु 40-42 साल की थी। श्री पृथ्वी सिंह कालेज के दिनों में जाने माने खिलाडी रहे है परन्तु दुखदायी बात यह थी कि उनके कोई औलाद नहीं थी और परसों अचानक उनकी मृत्यु हो गई है मैं लीडर आफ दि हाउस से प्रार्थना करता हूं कि उनका नाम भी इस लिस्ट में जो कि उन्होंने हाउ में रखी है, शामिल कर लिया जाये।

चौधरी भजन लाल: ठीक है। उनका नाम भी शामिल कर लिया जाये।

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय विधान सभा के नेता की ओर से जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, पिछले सत्र से लेकर इस सत्र तक जो विभूतियां इस संसार से उठ गई है वे 65 के लगभग है जिनमें आचार्य विनोबा भावे, रूस के राष्ट्रपति ब्रेजनेव, वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति, तीन राज्यपाल, अठारह मन्त्री, ग्यारह विधायक और पन्द्रह के लगभग संसद के सदस्य हैं इनमें श्री रामचन्द्र काक, जो जम्मू तथा कश्मीर के अंतिम प्रधान मंत्री थे, लुधियाना कृषि विज्ञान विद्यालय के उपकुलपति, श्री प्रमोद दास गुप्ता वरिष्ठतम सीपीएम पौलिटिब्यूरो सदस्य, हिन्दी के प्रख्यात लेखक श्री इलाचन्द जोशी तथा श्री के.सी. एस. मैनन जो चीन

तथा सोवियत सघं में भूतपूर्व भारतीय राजदूत थे, के नाम इस लिस्ट में है। स्पीकर साहब, 65 विभूतियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ठीक ही कहा गया है कि महात्मा गांधी के साथी, उनकी पीढ़ी के सहयोगी, उनके आदर्शों को कार्यान्वित करने वाले और अन्धेरे में जो चिगारी का काम करते थे, उन आचार्य विनोबा भावे का भी देहान्त हो गया है। अध्यक्ष महोदय, उनका देहान्त बड़ी दुखद अवस्था में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आचार्य विनोबा भावे दृढ़ सकल्प के व्यक्ति थे। उन्होंने छोटी सी आयु में ही ब्रह्मचार्य की पालना करने का व्रत लिया था और उसके पचास स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रवेश किया। वे अनेकों बार जेल गये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने कई आश्रम चलाये और कई पुस्तकों की रचना भी की है, उनमें से कुछेक पुस्तकों को पढ़ने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्पीकर साहब, गीता पर उन्होंने कई भाष्य लिखे हैं। वे 14 भाशाओं के विद्वान थे, यहां पर किस-2 पुस्तक की चर्चा करूं। एक से एक बढ़ कर पुस्तक उन्होंने लिखी। भूदान का आन्दोलन संसार में अकेला अनोखा आन्दोलन था। एक और भूपति भूमि हीनों को भूमि देने के बिल्कुल निकट नहीं आते थे। कितना खून खराबा वहां पर हुआ। इस तरह के वातावरण में जा कर के विनोबा जी ने उस वातावरण को अहिंसा में बदला और बड़ी सूझबूझ का परिचय उन्होंने दिया। ऐसे महापुरुषों को संसार कैसे भूल सकता है। 64000 किलोमीटर पैदल चल करके उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और लोगों की भलाई के लिये काम करते रहें। स्पीकर

साहब, उनके दिल में बड़ी भारी इच्छा थी कि गौ वध बन्द होना चाहिये। उन्होंने बार-बार इस बारे में अपनी सरकारों को कहा, लेकिन हमारी सरकारों ने अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया जिसके कारण उन्होंने बड़ी निराशा महसूस की लेकिन वे तो बाबा थे और वे अपने इरादों पर सदा ही अडिग रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगें तो मैं इस आन्दोलन को जारी रखूंगा। वे प्राकृतिक मौत नहीं मरे, उन्होंने भोजन, दवाई, पानी वगैरह कुछ भी लेने से इन्कार कर दिया था। यहां तक कि हमारी प्रधान मंत्री जी भी उनके पास चल कर गयी। उन्होंने विनोबा जी को कहा थक आप भोजन ले लो, पानी पीओ और दवाईयां वगैरह का प्रयोग करो। आप मेरी बात मानों लेकिन विनोबा जी सन्यासी थे, अडिग थे, उन्होंने प्रधान मंत्री जी को यह कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मान सकते तो आप मुझे अपनी बात क्यों मनवा रहे हैं। आखिर वे सन्यासी इसी आन्दोलन के कारण इस संसार को छोड़ कर चले गये। कितने बड़े तपस्वी थे, ऋषि थे, जाने के बाद सारे देश के माथे पर एक कलंक का टीका छोड़ गये। यह हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह के सेनानी, तपवी हमें दुख देकर चले गये और इसी गौवध आन्दोलन के कारण उनकी मौत हो गयी। जो सपने उन्होंने इस देश के लिये देखे थे, वे सब अधूरे के अधूरे ही रह गये। इस से बढ़कर हमारे लिये दुख की बात और क्या हो सकती हैं?

इसी तरह से स्पीकर साहब यहां हाउस में विदेशी विभूतियों का भी जिक्र आया कि उनहोंने विवतनाव को कम करने का काफी प्रयत्न किया है। यह मामला काफी कम्प्लीकेटेड सा है, डिस्प्यूटेड सा है, यहां पर इस मामले का जिक्र नहीं किया जाए तो अच्छा है। मैं कहना तो नहीं चाहता कि किस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है। चलो श्रद्धाजलि तो इन महानुभावों को देनी ही है।

स्पीकर साहब, श्रीमती भान्नी देवी का भी यहां पर जिक्र आया। वे हमारी माता के समान थीं। मेरा उनसे 1957 से सम्बन्ध चला आ रहा है, जब वे अमृतसर से रोहतक में चुनाव लड़ने के लिये आई थीं और रोहतक की जनता ने वहां से मुझे अपना आर्वादा देकर यहां पर भेजा था। फिर उसके बाद यमुनानगर से वे जीत कर आईं और यहां पर स्पीकर बनीं। उस समय मैं असैम्बली का सदस्य था, मैंने उन्हें कहा कि बहन जी, अब आपको वहां से दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पर अब कोई और दावेदार है। अध्यक्ष महोदय, वे अपने कामकाज में बड़ी निपुण थीं, बड़ी कुशल महिला थीं। जबकि महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थीं और पर्दा करती थीं, उस बहन भान्नी देवी जी ने ऐसे समय में अपनी सूझबूझ और होशियारी से कैसे काम किया, आप इस बात की कल्पना कीजियेगा। उस समय में स्नातक होना, ग्रेजुएट होना और फिर कन्या महाविद्यालय जालन्धर की प्रिंसिपल होना, यह हम सब के लिये गौरव की बात है। मुझे

बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि उस समय के जो लोग थे, वे बड़े ही मिलनसार थे, आदरवादी थे। उनको आजकल कोई नहीं पूछता लेकिन आज यह हो रहा है कि अगर एक आदमी राजनीति में आगे है, पावर में है तो लोग दुम हिला हिला कर उसके पीछे भागते हैं। आजकल इतना साइकोफैन्टस हो गये हैं कि कोई किसी की बात तक नहीं सुनता और ऐसे लोग जो आदरवादी हैं जिन्होंने देश के लिये, आने राज्य के लिये कई तरह की कुर्बानियाँ की हैं, सेवाएँ की हैं, आज लि-2 कर आने प्राणों की बली दे रहे हैं और निराशा हो कर इस संसार से जा रहे हैं यह हमारे लिये बहुत लज्जा की बात है।

स्पीकर साहब, श्री उज्जल सिंह, जोकि पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल थे, ने भी बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित रह गया है आसाम के श्री महेन्द्र मोहन चौधरी, जो कि पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल थे, उनके निधन से भी देश को बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

चौधरी सूरज मल जोकि संयुक्त पंजाब के मंत्री रहे हैं उनके बारे में भी श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक ही कहा है। मेरा उनसे काफी नजदीक का सम्बंध रहा है जब वे पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर थे, उस समय मैं सदस्य था। वे सगु दिल आदमी थे, उन्होंने गरीबों की तरक्की के लिये गांवों में बड़ा काम किया। उनके समय में हिन्दी आन्दोलन भी चला था और उन्होंने कहा कि

कहीं यह मेरी मिनिस्ट्रीखोसने का आन्दोलन तो नहीं है? उन्होंने हरियाणा के इलाके में जिस परिश्रम और योग्यता व निश्ठा के साथ काम किया है, वह सचमुच में ही बड़ा सराहनीय है।

इसी तरह से स्पीकरसाहब, श्री पीलू मोदी, संसद सदस्य, जोकि राम चारपाई पर सोये और सुबह का उठे ही नहीं और सारा संसर देखता ही रह गया। स्पीकरसाहब, वे जिस भी गम्भीर बात को कहते थे, बड़े ही अजीब अन्दाज से कहते थे जिसके कारण लोग अघ-2 कर उठते थे लेकिन ई वर की लीला ही न्यारी है कि जिसने इससंसार में जन्म लिया है, वह अब य ही इस संसार से जायेगा। श्री जो 1, जो कि एक साधु समान थे, वे भी आनी दाप पीछे छोड गये हैं यहां पर हरि विश्णु कामथ, संसद के भूतपूर्व सदस्य का भी जिक्र आया। स्पीकर साहब,, वे भी इस दे 1 के लिये एम मिसाल थे। उन का अपना आद र्ग था और इन्होंने भी देश की जनता की भलाई के लिये काफी काम किये। वे आई0सी0एस0 अफसर हुआ करते थे। दे 1 की सेवा के लिये उन्होंने अपनी नौकरी की भीपरवाह नहीं की ओर अपने पद से तयागपत्र दे दिया लेकिन आज कल क्लास थ्री तो एक तरु रहा, क्लास टू में अगर कोई आजकल आ जाता है तो वह पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है लेकिन श्री कामथ अंग्रेजों के वक्त के आई0सी0एस0 थे। वे एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन और वक्ता थे। वे सदन में बैठकर हर चीज को काफी देर तक वाच

करते रहते थे। उनका बड़ा आदर मिया जीवन था। वे भी इस संसार से चले गये। इसका हमें दुख है।

इसी तरह से हमारे आदरणीय श्री श्रीचन्द जी गोयल का भी यहाँ पर जिक्र आया। स्पीकर साहब, जाने वाले के लिये कष्ट तो होता ही है। वे हमारे साथी थे, बुजुर्ग थे, और उनका सारा जीवन आदर मिया था। उन्होंने सेंट जॉन्स स्टीफन कालेज, दिल्ली से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से एल0एल0बी की परीक्षा पास की। वे वकालत आरम्भ करने के बाद जिला बार एसोसिएशन, संगरूर के प्रेजिडेंट तथा पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट की 'बार काउन्सिल आफ इंडिया' के कोशाध्यक्ष बनाये गये। उसके बाद वे वकालत छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा राष्ट्र की सेवा में तत्पर हो गये। उसके बाद वे राजनीति में आये। लोकसभा में चण्डीगढ़ की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा। स्पीकर साहब, जब भी इलैक्शन होते थे तो हम लोग उनके पास कई दफा अपनी दिक्कतों को लेकर जाते थे। वे इलैक्शन के मास्टर थे। जहाँ तक उनकी वकालत का ताल्लुक था, उन्होंने थोड़े से समय में ही अपनी धाक जमा ली थी। सीनेट के मेंबर भी रहे।

श्री प्यारे लाल नैयर एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और पूज्य महात्मा गांधी जी के प्राइवेट सैक्रेटरी थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वह सात या आठ बार जेल गये। उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के लिये कालेज छोड़ दिया। श्री

प्यारे लाल एक विख्यात पत्रकार थे और उन्होंने गांधी जी की पत्रिका "हरिजन" का सम्पादन सम्भाला और "यंग इंडिया" के लिये भी लिखते रहे। इस तरह से वे ब्रिटि ा भासन से संघर्ष करते रहे। स्पीकर साहब, ये विभूतियां इस संसार से बारी –बारी जा रही है और इनकी सेवाओं को दे ा सदा ही याद रखेगा। स्पीकर साहब, विधाता के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। इसी प्रकार से रधुवीर सिंह जी हैं वे रहने वाले तो यू०पी० के थे लेकिन हिन्दी सत्याग्रह में हमारे उनसे बडे अच्छे संबंध रहे। वे बहुत ही उच्च कोटी के विद्वान थे। वे भास्त्री परीक्षा में उत्तर प्रदे ा में सर्व प्रथम आने वाले में से थे। इसी प्रकार से श्री लालचन्द प्रार्थी जी है जो हिमाचल प्रदे ा के भूतपूर्व मंत्री थे। जब वह इलाका पंजाब और हरियाणा में भामिल था उस समय वे हमारे साथ एम०एल०ए० हुआ करते थे। वे बहुत अच्छे कवि थे और समाज सेवक थे। बाद में वहां जाकर मंत्री बन गये। इसी तरह से उत्तर प्रदे ा के श्री रविन्द्र कि ारे भााही है जो जनता सरकार में पवर मिनिस्टर रहे। वे इतने सिद्धांतवादी थे कि बिड़ला कंसर्न ने उन पर दबाव डाला कि हमारे कारखाने की बिजली नहीं कटनी चाहिये। उनहोने कहा कि अगर किसान की बिजली कटेगी तो तुम्हारी भी कटेगी। यह नहीं हो सकता कि किसान के टयूबवैल बन्द रहे और खेतों में धूल उठे और दूसरी तरफ आपके कारखाने 24 घंटे चले। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बडी-2 डिगनिटरीज से जोर आया कि इनके कारखाने की बिजली मत काटो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा त्याग पत्र ले लीजिये

लेकिन मैं बेइंसाफी नहं करूंगा। इसी तरह से श्री रामकुमार जी पंजाब के एम0एल0ए0 थे। वे 1957 और 1962 में एम0एल0ए0 रहे। वे एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे और पुराने टाइम के कांग्रेसी थे। वे साफ-2 बात कहना बहुत मुश्किल है। उस पुराने ढंग के आदमी संसार से चले गये। इसका हमें बड़ा कष्ट है। स्पीकर साहब, मैं संसार से विदा होने वाले सभी संत पुरुशों को अपनी और से तथा अपने दल की और से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपना स्थान लेता हूँ।

बहिन भांति देवी (करनाल): अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहां अपने दे आ के , अपने प्रदे आ के तथा विदे आ के भी कुछ महान व्यक्तियों और महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये उठी हूँ। उनमें से आचार्य विनोबा भावे जी हमारे दे आ के एक बहुत बड़े तथा अपनी ही किस्म के कान्तिकारी कहये या ऐसा व्यक्ति कहिये जिनके दिमाग में समाजवाद की अपनी ही किस्म की एक बात थी अर्थात् सुखी व्यक्ति दुखी व्यक्ति को देखकर करुणित हो जाए। इन्सान को जो मिला है वह चाहे धन के रूप में है या जमीन के रूप में है जिस रूप में भी हो, उसका कुछ भाग अभावग्रस्त लोगों को अपने आप सौंप दे। ऐसा उनका विचार था। यह कोई मामूली बात नहीं है। आप जानते है कि कौन अपना धन और जमीन छोडना चाहता हूँ। परन्तु उनके मन में गरीब के प्रति और दुखी के प्रति त्याग और सेवा और प्रेम की भावना थी और उन्होंने दूसरे अमीर आदमियों को भी प्रेरणा दी। हमने देखा कि

भूदान का आन्दोलन चला और ग्राम दान का आन्दोलन चला। अमीरों ने गरीबों की सहायता की। यह बहुत बड़ी बात है और जीवन उन्होंने तपस्या, त्याग, प्रेम और सेवा का जीवन बिताया। ऐसे महान आदमी कभी—2 इस संसार में आते हैं और अपनी सेवा का काम करके चले जाते हैं। इस लिस्ट में तो बहुत नाम हैं अगर मैं सभी के नाम लुंगी तो बहुत समय लग जाएगा। जितने भी इस लिस्ट में हैं वे सभी एक प्रकार की महान विभूतियां थी जिन्होंने अपने—2 क्षेत्र में अपनी अपनी योग्यता और अपने अपने हालात के मुताबिक काम किया, जो लोगों को पसन्द आए और उनकी सराहना हुई। आज हम भी इन नेताओं और महापुरुषों के कार्यों की सराहना करते हुये उनसे प्रेरणा लें और उनके जो अच्छे काम थे उनको अपने जीवन में धारण करें जिससे हमारा भी जीवन उसी तरह से चले। ये जो कार्यक्रम होते हैं और ये जो दिवंगत आत्मांये हैं इनको तो श्रद्धांजलि अर्पित करनी ही होती है कि हम चिन्तन करें, विचार करें इस समस्या पर कि जो इस संसार में आया है वह इसी रास्ते का पथिक है। हम भी सभी इसी रास्ते के यात्री हैं। हम भी सोचें कि इस जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें। जीवन की सच्चाई क्या है? हम इस संसार में आये हैं और यह 5 भूतों से बना है एक दिन यह बिना बातये और बिना किसी मुहूर्त के चला जायेगा और पांच भूतों में मिल जायेगा। लेकिन इस भारीर में रह कर जो अवसर मिला है, उस समय की परिस्थिति का हमें सदोपयोग करना चाहिये। हमें अपने जीवन के एक—एक क्षण का सदोपयोग करना चाहिये। यह हमें विचार करना है। यह सभी

जानते हैं कि संसार में हमें नहीं रहना है, यह सत्य हमें स्वीकार कर लेना चाहिये। यह भी देख लें कि जो कुछ भी हमें मिला है चाहे धन के रूप में है, जमीन के रूप में है या पद के रूप में है, एक समय आयेगा कि हमें यह सब छोड़ना पड़ेगा। न चाहते हुये भी छोड़ना पड़ेगा। तो इस अवस्था में हम यह देख लें कि सभी ने एक न एक दिन इस सांसार से जाना है क्योंकि सृष्टि का यह एक नियम है कि जो जन्मा तो निश्चित ही छोड़ना पड़ेगा। कबीर जी ने कहा है जो घास जैसे उगता है वह वैसे सूख जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति जन्म लेकर इस संसार में आया है वह जायेगा भी। जिस तरह हर समय दिन की कल्पना नहीं हो सकती। जो सूर्य उदय हुआ है, उसका अस्त भी होता है। तो हम अपने जीवन में जहां तक हो सके सेवा के कार्य करें, प्रेम के कार्य करें और अपने लिये त्याग की भावना अपनाये। सेवा मनुष्य मात्र की भी सकती है और पशु पक्षी की भी हो सकती है। देहा की सेवा, समाज की सेवा सभी इसमें शामिल है और मनुष्य जीवन के लिये यही सबसे बड़ा काम है। हमें दूसरों की परिस्थितियों को देख कर उनके प्रति अपने कुछ त्याग करने चाहिये, वह असली सेवा है। हम जिन महापुरुषों को श्रद्धांजली दे रहे हैं, उनकी अच्छी बातों को हमें अपनाना चाहिये तभी वह सच्ची श्रद्धांजली होगी। इन भावों के साथ उन लोगों के परिवारों के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुये मैं भाव प्रकट करती हूँ।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैंबर्ज पिछले सै ान के बाद हम से बहुत सी रिनाउन्ड पर्सनैल्टीज अलग हो गई है। उनहोंने अपने-2 स्फीयर में बहुत अच्छे काम किये है। उनको डैथ से स्टेट और कंट्री को बडा धक्का लगा है और इसको दूर करना बहुत डिफिकल्ट है। यह लिस्ट तो बडी लम्बी है लेकिन उनमें से कुछ एक का जिक करना मेरे लिये जरूरी है।

आचार्य विनोबा भावे, सर्वोदय और भूदान मूवमेंट के फादर थे, He was a veteran freedom fighter जो कई बार जेल भी गये। इनफैक्ट वह महात्मा गांधी के एक स्पिचुअल हेयर थे। वह 14 लैंगवेजिज को जानते थे और उन्होंने हिन्दी और मराठी लैंगवज में कई बुक्स लिखी। He was a great figure who strode the pages of Indian History. He left behind a deep imprint of his ideology of Universal brother-hood and welfare of all human-beings.

श्री ल्योनिड इलिच ब्रेजनेव, यू0एस0एस0आर.0 के पांच साल तक प्रेजीडेंट रहे और वह सोवियत यूनियन में 16 सालों तक कई इम्पोटेंट पोसटस पर रहे। वह एक इंजीनियर भी थे। प्रैजीडेंट ब्रेजनेव वर्ल्ड में अपसी तनाव को कम रखने में बिलीव करते थे। उन्होंने अपनी डैथ से 3 दिन पहले ही क्रेमलिन में यह अनाउसमेंट की कि उनकी कन्ट्री बल्ड में तनाव कम करने के लिये काम करती रहेगी। उनकी डैथ से इंडिया ने एक सच्चा दोस्त खो दिया है।

श्रीमती भान्नी देवी हमारी विधान सभा की फौरमर स्पीकर थी। वह 1940 में ज्वायंट पंजाब में फर्स्ट टाईम इलैक्ट हुई थी। वह पंजाब विधान सभा में डिप्टी स्पीकर भी रही and she occupied this office till the re-roganisation of the Punjab State. उनके साथ मेरे बहुत नजदीकी संबंध रहे। जैसा अभी थोड़ी देर पहले डाक्टर साहब, ने बोलते हुये कहा कि जब वह बीमार थी तो उनकी किसी ने खबर नहीं ली। इस बारे में मैं डाक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली यमुनानगर होस्पिटल में जा कर उनसे मिला था। आप सभी जानते है कि वह अपने स्टैंड की पक्की थी। मैंने उनसे कहा कि आपका 25-30 हजार रूपया विधान सभा की तरफ बकाया पडा है और आप वह पैसा ले ले लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यह पैसा अपने हाथ फैला कर कैसे मागूँ। फिर मैंने खुद वह पैसा लेकर यमुनानगर होस्पिटल में जा कर उनहें दिया लेकिन फिर भी उन्होंने यह कहा कि आप यह सारा पैसा ट्रस्ट को दें दे। वह दिसम्बर, 1966 में हरियाणा विधान सभा की फर्स्ट स्पीकर इलैक्ट हुई थी। इसके अलावा उन्होंने ऐ डेली न्यूज पेपर " अक्ति" को भी 4 सालों तक एडिट कियाथा। She also remained Principal of Kanya Mahavidhalap Jullundur, उनकी डैथ से कन्ट्री ने एक फिडम फाइटर और पार्लिामैं अेरियान खो दिया है।

श्री उज्जल सिंह, पंजाब एंड मद्रास के गवर्नर रहे। वह 1926 में पजाब विधान सभा में फर्स्ट टाईम इलैक्ट हुये। 1930 और 1931 में राउंड टैबल कान्फ्रैस के डैलीगे इन के दो बार

मैंबर भी इलैक्ट हुये। वह 4 सालों तक सेंद्रल एजुके ानल एडवाइजरी बोर्ड एंड आल इंडिया टैक्नीकल एजुके ज्ञन कौंसिल के मैंबर भी रहे। Besides this[he held offices of Director and President of various Institutions उनकी डैथ से हमारी कन्ट्री ने एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर और एक्ससपीरयंस्ड पार्लियामेंटेरियन खो दिया है।

श्री महेन्लद्र मोहन चौधरी पंजाब के फौरमर गवर्नर थे। 1946 में वह आसाम विधान सभा के लिये यूनानीमसली इलैक्ट हुये थे। बाद मे वह आसाम प्रदे ा कांग्रेस कमेटी के प्रेंजीडेंट एंड आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सैक्रेटरी भी रहे। वह 8 सालों तक आसाम विधान सभा के स्पीकर रहें और बाद मे आसाम के चीफ मिनिस्टर भी रहे। He was also a Member of Rajya Sabha. He was a front rank soldier in our freedom struggle. उनकी डैथ से कन्ट्री ने एक सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन खो दिया है।

चौधरी सूरज मल, ज्वांयट पंजाब के हरियाणा रीजन से एक फौरमर मिनिस्टर थे। He was a contemporary of Sir Chhotu Ram. वह कई सालो तक पंजाब विधान सभा और कौंसिल के मैंबर रहे। वह कांस्टीच्यूएंट असैम्बली के भी मैंबर थे। वह 1947 से 1948 तक भरतपूर स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनकी डैथ से कन्ट्री ने एक वैटर्न लीडर खो दिया है।

श्री पीलू मोदी पार्लियामेंट के मेंबर थे। He obtained the Master's degree in Architecture from U.S.A. and also worked for designing the Chandigarh Capital Project. वह लोक सभा और राजसभा के मेंबर भी इलैक्ट हुये। उनकी डैथ से कन्ट्री ने एक सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन खो दिया है।

प्रोफैसर मुकून्द मडल वैस्ट बंगाल असैम्बली के लिये 1971 में इलैक्ट हुये और 1977 और 1980 में लोक सभा के लिये इलैक्ट हुये। उनहोंने रूरल एरियाज में एजुकेशन को बढ़ाने व डाउन-ट्रोडन की अपलिफ्ट के लिये बहुत काम किया। उनकी डैथ से कन्ट्री ने एक एजुकेशनिस्ट खो दिया है।

श्री हरि विश्णु कामथ एक आई0सी0एस0 थे जिन्होंने फिडम मूवमेंट में पार्टी लिडर बनने के लिये आई0सी0एस0 से रिजाइन कर दिया था। वह कई बार जेल भी गये। वह 3 सालों तक कांस्टीच्युएंट असैम्बली के मेंबर और कई सालों तक लोक सभा के मेंबर रहे। श्री हरिविश्णु कामथ एडमिनिस्ट्रटिव रिफोर्मज कमीशन और प्रैस कांसिल के मेंबर भी रहे। He was a great writer who was having an excellent knowledge of astrology.

श्री महमूद हसन खां एक फारमर थे जो 1977 में फर्स्ट टाइम लोक सभा के लिये इलैक्ट हुये और 1980 में दोबारा यू0पी0 की अपनी पुरानी कांस्टीच्युएन्सी से इलैक्ट हुये। वह म्युनिसिपल कमेटी खुरजा के मेंबर और चेयरमैन भी रहे।

श्री श्रीचन्द गोयल हमारी स्टैट के डिस्ट्रिक्ट करनाल के एक गांव के रहने वाले थे। वह पजाब हाई कोर्ट की बार कौंसिल आफ इंडिया के ट्रेजरर भी बने। वह 4 सालों तक पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसिल के मेंबर भी रहे और 1967 में लोकसभा के लिये चण्डीगढ़ कांस्टीच्युएँसी से इलेक्ट हुये। वह 1977-78 में पजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेजिडेंट भी रहे। उनके साथ मेरे बहुत इन्टेलिजेंट हैं वकीलों की भलाई के लिये वह हर बात को पूरी करने की कोशिश करते थे। उनकी यह कोशिश थी कि वह जो बात कह देते थे उससे पीछे नहीं हटा करते थे, उस बात की पूरी करते थे। इसलिये हमें उन पर फख्र है कि वे बुजुर्ग होते हुये भी अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटते थे। उनहोंने हमोर लिये यहां चण्डीगढ़ में बैठकर और दिल्ली में बैठकर काम किये हैं। He was also a member of the Advisory Committee of the Union Home Ministry and that of the Chief Commissioner, Chandigarh.

श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देवमुख, फौरमर युनियन फाईनैस मिनिस्टर थे। He stood first in I.C.S. examination in 1918. वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में युनियन गवर्नमेंट को एज डायरेक्टर रिप्रिजेंट करने के बाद 1943 तक इसके सैक्रेटरी भी रहे। He held its offices of Deputy Governor and Governor upto 1949. He was the first Indian who occupied such high offices. वह प्लानिंग बोर्ड के मेंबर, फर्स्ट चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड वाइस-चांसलर आफ देहली

युनिवर्सिटी भी रहे। 1975 में उन्हें पद्म विभूषण की डिग्री भी दी गई। उनकी डैथ से कन्ट्री ने एक एबल एडमिनिस्ट्रटर और इकानोमिस्ट खो दिया है।

श्री दे 1 राज महाजन हमारी सिस्टर स्टेट हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर थे जो 4 सालों तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा के स्पीकर भी रहे। उनकी डैथ से कन्ट्री ने एक सीजन्ड सोशल वर्कर खो दिया है।

श्री प्यारे लाल लैयर एक वैटर्न फिडम फाईटर थे जिनहोने 1920 में नान-कोआप्रेटिव मूवमेंट में पार्टीसिपेट करने के लिये कालेज छोड़ दिया था। वह 7 या 8 बार जेल भी गये। वह गांधी जी के प्राइवेट सैक्रेटरी भी रहेह। उनहोनें गांधी जी द्वारा भारू की गई न्यू वीकली हरिजन को एडिट भी किया। He also wrote for "Young India".

मैं इन सब ग्रेट पर्सनेल्टीज और बाकी जिनका इस लिस्ट में जिक्र है, इन सब को होमेज पे करता हूँ।

मैं इस हाउस की सिमपैथीज को बरीण्ट फ़ैमिलीज तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन डिपारटिड लीडर्ज के प्रति होमेज पे करने के लिये खड़े होकर दोमिनट की साइलेंस आबजर्व करे।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब.....

.....मेरी
सबमि तान है कि उनको भी इसमें जरूर भामिल कर लिया जाना चाहिये। (गोर)

एक सदस्य: वे इस प्रदे ा के लोग नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, वे लोग भी हमारे भाई है। हमारे अपने दे ा के नागरिक है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे रिकवैस्ट करूंगा कि आपको उस समय यह बात लानी चाहिये थी जिस समय आप भाोक प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उस समय तो आप ने किसी ने इस के बारे मे कुछ नहीं कहा। चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने चौधरी देवी लाल के दामाद के मुत्तालिक कहा था, वह सी0एम0 साहब ने मान लिया था। अब भाोक प्रस्ताव का समय समाप्त हो गया है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब.....

.....

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

(I) पैनल आफ चेयरमैन

श्री अध्यक्ष: मैबर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसिजर एंड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 13 (1) के अधीन में नीचेलिखे हुये मैबर्ज को पैनल आफ चेयरमेन में काम करने के लिये नोमिनेट करता हूँ:-

1. चौधरी ई वर सिंह
2. राव इन्द्रजीत सिंह
3. चौधरी धर्मवीर गावा
4. चौधरी साहब सिंह सैनी

(II) कमेटी आन पैटी ान्ज

श्री अध्यक्ष: साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसिजर एंड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 286(1) के अधीन में नीचे लिखे मैबर्ज को कमेटी आन पैटी ान्ज में कार्य करने के लिये नोमिनेट करता हूँ:-

1. श्री वेदपाल (उपाध्यक्ष) पदेन सभापति
2. चौधरी धर्मवीर गाबा
3. श्री निर्मल सिंह
4. चौधरी रो ान लाल आर्य
5. चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल

(II) अनुपस्थिति की अनुमति

चौधरी राजेन्द्र सिंह, खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (सम्बन्धी)

श्री अध्यक्ष मुझे चौधरी राजेन्द्र सिंह, फूड एंड सप्लाइ मिनिस्टर का डी०ओ० लैटर दिनांक 4-3-1983 प्राप्त हुआ है जोकि इस प्रकार है—

“I have received the summons in connection with the forthe coming Budget Session of the Haryana Vidhan Sabha commencing from the 7th March, 1983 at 2-00 p.m. I am sorry to inform you that due to heart attack myself got admitted in the Medical College, Rohtak from 13-2-83 and at present under treatment in the said Hospital.

Due to my prolonged illness I am unable to attend the Session of the Haryana Vidhan Sabha and request for leave of absence from the forthcoming Budget Session”.

Question is:-

That permission for leave of absence be granted.

The motion was carried.

सचिव द्वारा घोशणा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों संबंधी

श्री अध्यक्ष: अब सैकेटरी साहब अनाउसमेंट करेंगे।

सचिव: मैं उन बिलों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर सत्र, 1982 में पास किये थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

1. हरियाणा विनियोग (सं० 4) विधेयक , 1982।
2. फरीदाबाद संव्यूह (विनियमन तथा विकास) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1982।
3. पंजाब मोटर स्पिरिट (विक्रय—कराधान) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1982।

वाक आउट

श्रीमती चन्द्रवती: अध्यक्ष महोदय, जो भाषक प्रस्ताव गवर्नमेंट की तरफ से आया है।.....
.....
.....
.....
.....

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब,
.....
.....जिस समय हम बोल रहे थे उस समय इस सम्बन्ध में हम कहना गलती से भूल गये थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ

कि आप इस प्रस्ताव के लाने के बारे में सरकार को कहेंगे वरना मजबूरन हमें ताक आउट करना होगा। आप भी हमारी बात से सहमत होंगे कि ऐसा होना चाहिये।

श्री मंगल सैन: सर मेरी सबमिशन है कि मोशन मुव करने से पहले हमारे से यह बात निकल गई। इस समय इस पर बात करने का मौका दिया जाये।.....

.....
.....
...यह मामला बहुत महत्व रखता है। हम यह नहीं कहते कि इन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि पहले लाई जाये। आप इनकी लाईन आखिर में जोड़ दे। स्पीकर साहब आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: देखिये साहेबान, आप किसी न किसी पार्टी के मैनबर है। आपकी पार्टी के मैनबर पार्लियामेंट में भी है। यह मामला पार्लियामेंट का है। यह स्टेट का मामला नहीं है। यहां पर तो सटेट की बात ही ठीक रहेगी। वैसे यह मामला पार्लियामेंट के अन्दर उठाया जा चुका है यह स्टेट की बात नहीं है। (गोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि भाोक प्रस्ताव पर श्रीमती चन्द्रावती श्रीवीरेन्द्र सिंह, डा० मंगल सैन जैसे कई लीडर बोले है लेकिन इन्होंने बोलते समय किसी ने भी

इस बात का जिक्र नहीं किया ओर अब जब भाोक प्रस्ताव खत्म हो गया है.....(ओर एवं व्यवधान)

श्री मंगल सैन: यह गलत बात हैक। (ओर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मगरमच्छ वाली बात एक्संपज कर दी जाये।

श्री रामबिलास भार्मा: स्पीकर साहब.....
.....
.....(ओर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान, आपने अपने खलात का इजहार किया, वह मैंने सुन लिया है। मैं समझता हूं कि इस स्टैज पर उनके लिये औबिचुरी रैंफेस लाने का मामला हमारी जुरिस्टिडकान में नहीं आता इसलिये आप असैम्बली को चलने दीजिये।(ओर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास भार्मा:
.....
.....(ओर एवं व्यवधान)

प्रोफ़ैसर सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के बारे में अभी भाोकप्रस्ताव आये है, क्या यह सारे के सारे हरियाणा के रहने वाले थे? जिन्होंने देा की सेवा

की थी, उन्ही का नाम इस लिस्ट में आया है, इसलिये इनका भी आना चाहिये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, वह आईटम तो निकल गया है, अब इस स्टेज पर बार-2 कहने का कोई फायदा नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब.....

.....
.....

(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो कुछ आपने कह लिया है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? (गोर एवं व्यवधान)

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, ये तो मुस्करा रहे हैं, कम से कम अपने चेहरे पर भाोक का इजहार तो कर दें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री कवल सिंह:

.....

श्री अध्यक्ष: इन वट कपैसिटी? इस विधान सभा का उनसे क्या सम्बन्ध है?

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब,.....

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इस इू को किसी एक आदमी के नाम से , कंडोलैंस रैजोल्यू ान के रूप में मूव नहीं कर सकते। किसी दूसरे प्रस्ताव का इू हो सकता है। वास्तव में यह ला एंड आर्डर का मामला है और युनियन होम मिनिस्टरी की जुरिस्डिक् ान में आता है और यह मामला पार्लियामेंट में उठाया जा सकता है, इसका इस सदन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस लिये इस विशय में जो भी प्रोसीडिंग हुई है, वह एक्सपंज कर दी जायें क्योकिं यह मामला इस सदन की जुरिस्डिक् ान में नहीं आता।

श्री कवल सिंह: आप कम से कम सहानुभूति तो भेज दीजिये? (व्यवधान)

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। अगर हमारे दे ा के किसी कोने में कोई भयानक दुर्घटना हो जाये, कत्लेआम हो जाये, भुकम्प से लोग पीडीत हो जायें, बाढ से पीडित हो जाए, क्या उनकी सहानुभूति में उन मरने वालों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते?

श्री अध्यक्ष: इतने बडे दे ा में कहां-कहां, क्या-क्या हो रहा है, इन सारी बातों का इल्म होना, इन सारी बातों का जवाब

हरियाणा विधान सभा ही दे, यह मुक्ति कल है। इसके अलावा आप को किसी एक भी आदमी के नाम का पता नहीं जो इस दुर्घटना में मारा गया हो। इसलिये मैंने आपसे अर्ज की है कि जो आपके ख्यालात थे, जिन-2 बातों का आपने इजहार किया, वे मैंने सुन ली। लेकिन मेरे लिये सम्भव नहीं है कि ऐसी सिचुएशन से सम्बन्धित जो आदमी मारे गये हैं, उनको भी इनके साथ लूँ। यह आईटम निकल चुका है, प्रस्ताव पास हो चुका है, अब दोबारा यह चैप्टर खोलना मेरे लिये मुक्ति कल है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, औबिचुअरी रैफरेंसिज के बीच में हम बोलना नहीं चाहते थे। सरकार का खुद फर्ज बनता था। इसका भी रिफ्रेंस ले आते। पिछले सैशन में सिरसा और कालावाली में भाराब से लोग मारे गए थे उनकी सहानुभूति के लिए भी प्रस्ताव आना चाहिए। कहीं पर रेल से एक्सीडेंट हो जाए, या कहीं पर रौयट्स हो जाएं और बहुत से लोग मारे जाएं तो क्या हम उनकी सहानुभूति में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते ? इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से वहां पर मरने वाले लोगों के लिए प्रस्ताव आना चाहिए। सरकार हां कर दे कि प्रस्ताव आयेगा।

श्री अध्यक्ष: क्या ऐसी सिचुएशन पर कभी औबिचुअरी रैफ्रेंस आता है ? इस विधान सभा का उसके साथ क्या सम्बन्ध है ? (व्यवधान)

17.00 बजे

श्रीमति चन्द्रावती: आप आ वासन दीजिए कि गवर्नमेंट अ प्रस्ताव लायेगी। (व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: मरने वाले व्यक्ति चाहे इस दे आ के हों, चाहे विदे आ के हों, चाहे किसी सैव आन के हों, क्या इनके प्रति भाोक प्रस्ताव पे आ करने पर कोई पाबन्दी है ? क्या इस प्रकार के भाोक प्रस्ताव पर सदन में बहस नहीं की जा सकती ?

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी आर्गुमेंट समझता हूँ लेकिन मैंने जवाब दे दिया है जब एक आर्टिकल गुजर चुका है, औबिचुअरी रैफरेंसिज खत्म हो चुके हैं तो इस चैप्टर पर बार बार बात करना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

कई सदस्य: तब हम वाक आउट करते हैं।

(इस समय विरोधी पक्ष के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब मैं वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किये गये टाईम टेबल की रिपोर्ट पेश करता हूँ।

“The Committee met at 11.10 A.M., on Monday, the 7th March, 1983, in the Chamber of the Hon’ble Speaker.”

The Committee recommended that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in Session, shall meet on Mondays at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays at 9.30 A.M., and adjourn at 1.30 P.M., without question being put.

The Committee after some discussion, also recommended that the Business on 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 14th March, 1983, be transacted by the Sabha as follow:-

<p>The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor’s Address on the 7th March, 1983.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laying a copy of the Governor’s Address on the Table of the House. 2. Obituary References. 3. Presentation and adoption of the First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 5. Presentation of Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
<p>Tuesday, the 8th March, 1983</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Question Hour.

(9.30 A.M.)	<p>2. Papers to be laid on the Table of the House.</p> <p>3. Presentation of Supplementary Estimates (Second Instalment) 1982-83 and the Report of the Estimates Committee thereon.</p> <p>4. Discussion on Governor's Address.</p>
Wednesday, the 9 th March, 1983 (9.30 A.M.)	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Resumption of discussion on Governor's Address.</p>
Thursday, the 10 th March, 1983 (9.30 A.M.)	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Non-Official Business.</p>
Friday, the 11 th March, 1983 (9.30 A.M.)	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.</p>
Saturday, the 12 th March, 1983	OFF-DAY
Sunday, the 13 th March, 1983	HOLIDAY
Monday, the 14 th March, 1983 (2.00 P.M.)	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Presentation of Budget for</p>

	the year 1983-84.
--	-------------------

The Committee further decided to hold its next meeting on Monday, the 14th March, 1983, immediately after conclusion of the Budget Speech by the Finance Minister.

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): Speaker, Sir, with your permission, I would like to invite your kind attention to the point of order raised by me that all the proceedings which were spoken without the permission of the chair should be expunged because this House has no jurisdiction to discuss that matter. You have not given any ruling on this point of order.

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज कर दिये जायें।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): Speaker, Sir, I beg to move:-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फस्ट रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों के साथ सहमत है।

श्री अध्यक्ष: प्र न है:-

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फस्ट रिपोर्ट में दी गयी सिफारि तों के साथ सहमत हे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House:-

1. The Haryana Forest Development Ordinance, 1982 (Haryana Ordinance No. 4 to 1982.)
2. The Maharshi Dayanand University (Amendment) Ordinance, 1982 (Haryana Ordinance No. 5 to 1982).
3. The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Ordinance, 1983 (Haryana Ordinance No. 1 of 1983).
4. The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Ordinance, 1983 (Haryana Ordinance No. 2 of 1983).
5. The Agriculture Department Notification No. G.S.R. 89/P.A.A 2/58/S. 34/Amd. (1)/82, dated the 3rd September, 1982, regarding the Punjab Warehouses (Haryana First Amendment) Rules, 1982, as required under section 34(3) of the Punjab Warehouses Act, 1957.

6. The Exeise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 105/HA. 20/73/S. 64/Amd. (5)/82, dated the 30th September, 1982 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1982 as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.
7. The Exeise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 120/HA. 20/73/S. 64/Amd. (6)/82, dated the 20th October, 1982 regarding the Haryana General Sales Tax (Sixth Amendment) Rules, 1982 as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.
8. The Exeise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 21HA. 20/73/S. 64/Amd. (2)/83, dated the 17th February, 1983, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1983, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.
9. The Annual Report of Haryana Agricultural University, Hissar for the year 1980-81, as required under section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.
10. The Annual Report and Accounts of Haryana Warehousing Corporation for the year 1980-81, as required under section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.
11. The Annual Report and Accounts of Haryana Warehousing Corporation for the year 1981-82, as

required under section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

12. The Annual Report and Accounts of Haryana Seeds Development Corporation Ltd. for the year 1980-81, as required under section 619 of the Companies Act, 1956.

I also beg to relay on the Table of the House:-

1. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 62/HA. 20/73/S. 64/Amd. (3)/82, dated the 14th May, 1982, alongwith its corrigendum dated 30-6-1982, regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1982, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.
2. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 95/HA. 20/73/S. 64/Amd. (4)/82, dated the 14th September, 1982, regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1982, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.
3. The Transport Department Notification No. G.S.R. 49/C.A. 4/39/S. 91/Amd. (1)/82, dated the 29th March, 1982, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana First Amendment) Rules, 1982, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

4. The Transport Department Notification No. G.S.R. 74/C.A. 4/39/S. 41/Amd. (2)/82, dated the 21st June, 1982, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana Second Amendment) Rules, 1982, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामलों में प्रिविलेजिज कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिए समय बढ़ाना।

1. 24-5-82 को राज भवन में हरियाणा के राज्यपाल का कथित अपमान करने, गाली देने तथा बल प्रयोग करने के लिए चौधरी देवी लाल एम.एल.ए. के विरुद्ध

Sh. Inder Singh Nain (Chairman, Committee of Privilege): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Ch. Devi Lal, M.L.A., for alleged insulting, abusing and man-handling the Governor of Haryana in Raj Bhawan on the 24th May, 1982.

Sir, I also beg to move:-

That the time for the presentation of the final Report be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

कि अन्तिम रिपोर्ट पे 1 करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह प्रिविलेज मो 1ान, 24 जून को मूव किया गया था और उस समय मैंने इस सदन में अर्ज किया था कि इस मो 1ान का कोई लीगल बेस नहीं है। मो 1ान के तुरन्त बाद आपने इसके लिए एक कमेटी मुकर्रर की थी।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, मेरे ख्याल में इस मो 1ान पर स्पीच नहीं हो सकती है। ऐसा रूलज में दिया हुआ है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं स्पीच नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपके नोटिस में एक चीज लाना चाहता हूँ। आपने जो कमेटी मुकर्रर की थी, उस बारे में मैंने पिछले सै 1ान में भी अर्ज किया था कि उस कमेटी का काम्पलैव 1ान मुकम्मल तौर पर बदल गया है। यह इस लिहाज से कि उस समय आपने जो कमेटी मुकर्रर की थी, उसमें बाकायदा सब पक्षों के एम.एल.ए. साहेबान को रखा गया था। परन्तु बाद में बहुत सारे सदस्य जो उस कमेटी में थे, रूलिंग पार्टी में चले गये। इसलिए मैं आपसे यह गुजारि 1ा करता हूँ कि एक तो इस प्रिविलेज मो 1ान को आगे चलाने की कोई जरूरत नजर नहीं आती। यदि सरकार फिर भी इस बात पर बजिद है कि इसको आगे चलाया जाये तो इस कमेटी को आप रि-कांस्टीच्यूट कीजिये ताकि इसका काम्पलैव 1ान जिस प्रकार

पहली बार था, उसी तरह का हो सके। आप फिर से इसमें नौमीने इन करके इसका काम्पलैव इन ठीक कीजिये ताकि मैम्बर्ज को यह पता लग सके कि यह कमेटी फेयरली अपना काम करेगी। मैं इसलिए ही आपसे अर्ज करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, बात यह है कि रूलिंग पार्टी के दोस्त बहुत ही उतावले हो रहे हैं कि प्रिविलेज का मामला जो विचारधीन है उसका फैसला जरूर ही किया जाए और फैसला करके नया रिकार्ड कायम या जाए। स्पीकर साहब, मैं इनको सुझाव देना चाहता हूं कि अब एटमौफेयर ही बदल गया है ओर जैसा कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जिस समय कमेटी कांस्टीच्यूट की गई थी, उस वक्त असैम्बली में डिफरेंट गुप्स थे, उनके रिप्रेजनटेटिव्स उस कमेटी में लिए गए थे। बाद में इन्होंने कुछ मैम्बर्ज को अल्योरमेंट देकर अपनी ओर कर लिया और वे इनकी ओर चले गए। डैमोक्रेसी में होना तो यह चाहिए कि जिस पार्टी से कोई चुनकर आए उसको उसी पार्टी में रहना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि कमेटी को दुबारा कांस्टीच्यूट किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी तक ऐक्सटैन् इन के लिए रिक्वैस्ट कर रहे हैं इसके बारे में हम आपस में बैठकर बात कर लेंगे।

श्रीमति चन्द्रावती: स्पीकर साहब, बात यह है कि यह मामला प्रिविलेज का बनता ही नहीं था ओर फिर उसका टाईम ऐक्सैटन्ड करने का प्रस्ताव रखते जाएं, मैं समझती हूँ कि यह बड़ी गलत चीज हैं। अभी चौधरी वीरेन्द्र सिंह ओर डा. मंगल सैन ने कहा है कि अब वह सारा रैफ्रेंस बदल चुका है इसलिए इस पर दुबारा विचार होना चाहिए। स्पीकर साहब, राज भवन कभी भी असैम्बली का पार्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी कानून और कायदे से असैम्बली का पार्ट नहीं है। आप बड़े से बड़े लीगल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। हतना तो मैं भी इस बारे में जानती हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि अन्तिम रिपोर्ट पे 1 करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) 24-6-82 को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर उनके कथित अवचार सम्बन्धी चौधरी देवी लाल एम. एल.ए. के विरुद्ध

Sh. Inder Singh Nain (Chairman, Committee of Privilege): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Ch. Devi Lal, M.L.A., regarding his

misconduct on the eve Governor's Address to the House on the 24th June, 1982.

Sir, I also beg to move:-

That the time for the presentation of the final Report be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

कि अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है:-

कि अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष: अब हाउस कल दिनांक 8-3-1983, सुबह 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

17.21 बजे

(तत्प चात् सदन मंगलवार, दिनांक 8-3-1983 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)